डा० अम्बेडकर और दलित आन्दोलन

शेष साहित्य प्रकाशन
30/64, गली न० 8,
विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली 110032

डा० अम्बेडकर और दलित आन्दोलन

धर्मवीर



शेष साहित्य प्रकाशन

30/64 गली नं० 8 विश्वास नगर शाहदरा दिल्ली 32

संस्करण पहला, 1991
प्रकाशक शेष साहित्य प्रकाशन
30/64 गली नं० 8, विश्वास नगर
शाहदरा दिल्ली-110032
मूल्य 30 00
मुद्रक जितेन्द्र प्रिंटर्स
बाबरपुर रोड, शाहदरा दिल्ली 110032

Dr AMBEDKAR AUR DALIT ANDOLAN by Dharam veer
Price Rs 30 00 only

समर्पण

भारत राष्ट्र के महान
संविधान, संसद और सरकार को ।

—धर्मवीर

भूमिका

डा० अम्बेडकर ने दलितो की माग को किसी हीनता और हिंसा से नहीं जोड़ा था। न ही वे अपनी बात को कहने से रुकते थे और न ही उन्होंने कभी समाज म अराजकता का पक्ष लिया। वे एक पढे लिखे और जिम्मेदार नेता थे और अपने काम के प्रति पूर्णत समर्पित थे। उनकी सारी मागें लोक तान्त्रिक ढग की थी।

डा० अम्बेडकर का भारत के सवैधानिक कानून के विकास मे विशेष योगदान रहा है। वे सवैधानिक कानून के विशेषज्ञ और मास्टर थे। ऐसे ही, वे दूसरे कई विषयों के महान विद्वान थे। यह गांधीजी की विशेषता थी कि उन्होंने देश की आजादी अहिंसा के हथियार से हासिल करवाई पर डा० अम्बेडकर की विशेषता यह थी कि उन्होंने केवल सवैधानिक कानून और लोक त त्र के द्वारा दलितो को आजादी के कगार पर ला कर खडा कर दिया। यदि पुरानी भाषा बोली जाए तो यह किसी जादू और चमत्कार से कम नही है।

डा० अम्बेडकर देश के राजनैतिक नेतृत्व से दलितो की माग का नतिक आधार मनवा चुके थे। आज सविधान, ससद और सरकार तीनो—दलितो की माग को एक मत से मानते हैं। इनमे कही कोई गलत फहमी नही है। कहा यह जाता है कि हमारा सविधान और कानून दलितो की दृष्टि से ससार मे सवश्रेष्ठ है। इतने अच्छे कानून का कही मुकाबला नही है।

अब समस्या का दूसरा पहलू यह है कि इन कानूनो को अमल मे कैसे लाया जाए। यही ज्यादा दिक्कत आ रही है। इसके दो पक्ष हैं—समाज और लोक सेवा। समाज के सम्ब ध मे सविधान, ससद और सरकार क्रान्तिकारी भूमिका निभा रहे ह। लेकिन इसी क्रम म दलितो के सही दावो के हक म

का मतलब है कि समाज के मौजूदा व्यवहार म कई जगह ऐसी हैं जहाँ दलितो का अहित किया जाता है।

अगली बात लोक सेवा की रह जाती है। इसके तीन पक्ष हैं

(क) अच्छे प्रशासन के तरीके ढूढ लिए गए हैं।

(ख) लोक सेवा सविधान, ससद और सरकार की दिल से इज्जत करती है।

(ग) लोक सेवा सविधान, ससद और सरकार की दिल से इज्जत नही करती।

जहाँ तक ऊपर क' का सम्ब ध है, हम प्रशासन का अच्छा बनाने के प्रयोजन से लोक सेवा के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था को हर चरण और हर स्तर पर ज्यादा से ज्यादा सुलभ कराना है। हर सरकारी कमचारी के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता और अनिवायता रहनी चाहिए। इसमे प्रशासको और कमचारियो की अपने काम पर पकड मजबूत होती है। यह व्यावसायिक निपुणता की बात है कि कोई एक बढई अच्छी मेज बनाता है और दूसरा अच्छी मेज नही बना पाता। यह बिलकुल कारीगरी जसा सवाल है कि काम को अच्छी तरह स करवाने के लिए हर कारीगर को उसके सभी ढग सिखाए जाने चाहिए। साथ ही यह भी सिद्धान्त रूप से माना जाना चाहिए कि सरकारी सेवाओ मे पहली श्रेणी के अधिकारियो से ले कर चौथी श्रेणी तक के सभी कमचारियो को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

जहाँ तक ख' का सवाल है ऐसी लोक सेवा जो सविधान ससद और सरकार की नीतियो का हृदय से सम्मान करती है, उसे ही प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ऐसा प्रशिक्षण ले कर वह सोने पर सुहागा हो जाती है। वह इस देश के कानून को लागू करने मे उत्साह से काम करती है।

मुख्य समस्या ऊपर 'ग' मे दर्शाई गई लोक सेवा से है। लोक सेवा सविधान, ससद और सरकार का औजार है। यदि यह औजार उनकी बात नही मानता है तो फिर उस औजार के बारे म गहराई से सोचा जाना चाहिए। पहले ही कहा जा चुका है कि सविधान ससद और सरकार इस देश के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक इतिहास मे एक ऐसी क्रान्ति ला रहे हैं जो इस देश ने पहले कभी नही देखी है। इसम यह भी एक मानी हुई बात है कि हर क्रान्ति की एक प्रतिक्रान्ति होती है। सविधान, ससद और सरकार को यह जरूर देखना है कि उसके लिए प्रतिक्रान्ति का काम कौन कर रहा है? ऐसा एक तत्व तो सीधे समाज म होता है, लेकिन इसका दूसरा तत्व लोक सेवा मे भी हो सकता है।

इसलिए लोक सेवा की कोई कसौटी होनी चाहिए। इसमें शिक्षा, परीक्षा और आयु की कसौटियाँ निर्धारित कर रखी हैं। इनके अलावा सभी वर्गों के लोगों के लिए समानता का अवसर प्राप्त है। इसमें सुझाव यह है कि लोकतन्त्र, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता को भी एक महत्त्वपूर्ण कसौटी बनाया जाना चाहिए। यह विचारणीय है कि समानता के सिद्धान्त को बरकरार रखते हुए इस कसौटी को कैसे रखा जाए।

यहाँ केवल धर्म निरपेक्षता का एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। इसे भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय की 1988-89 की वार्षिक रिपोर्ट में लिया जा रहा है। इसके अनुसार, भारत सरकार ने इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि जबकि सरकारी कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी भी धर्म को अपनाए जाने तथा उसका अनुसरण करने की स्वतन्त्रता है, फिर भी उन्हें आम जनता में इस तरह आचरण करना चाहिए ताकि उनके बारे में किसी को लेश मात्र भी ऐसा न लगे कि वे धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त के पक्ष में नहीं हैं। यह एक बात हुई। इसमें दूसरी बात यह है कि अपने जन्म से ही धर्म निरपेक्ष परम्परा का वहन करने वाले लोगों से सरकारी कामकाज में धर्म निरपेक्ष आचरण की अपेक्षा रखना ज्यादा व्यावहारिक और कारगर सिद्ध हो सकता है। इसलिए यदि सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में ऐसे लोग बने बनाए, या कहें ढुढाए और पदायशी मिल जाएँ जो अपने निजी जीवन और दृष्टिकोण में पहले से ही धर्म निरपेक्ष भावना के हों तो वे सरकारी नीतियों को ज्यादा सफलता से लागू कर सकेंगे—और यह विश्वास रखने का हमारे पास पूरा आधार है कि भारतीय समाज में ऐसे पदायशी धर्म निरपेक्ष लोग काफी बड़ी संख्या में होते हैं।

कुल मिला कर यह बात जरूरी है कि इस संवैधानिक क्रान्ति को विफल होने से और भारतीय समाज को दुर्घटना से बचाया जाए। इसका उपाय यह है कि इसे कथनी और करनी के अन्तर से और हिप्पोक्रेसी से बचाया जाए। ऐसा पहले भी हुआ है और दार्शनिक स्तर पर हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक ओर पारमार्थिक दृष्टि से अद्वैत ब्रह्म का प्रचार किया है और दूसरी ओर अपने व्यावहारिक जीवन में अछूतपन को बरता है। यह अब भी हो सकता है कि एक ओर संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली जाए और दूसरी ओर उसे भीतर से नष्ट कर दिया जाए। यह प्रतिक्रान्ति की एक महत्वपूर्ण रणनीति होती है।

अन्त म, इस लेख के बार मे यह कहना जरूरी है कि इसम व्यक्त विचार मेरे अपने विचार और दृष्टिकोण हैं, सरकार के नही।

धमवीर

23 मार्च, 1990
नई दिल्ली

एफ 115, प्रगति विहार, लोदी रोड,
नई दिल्ली 110003

डा० अम्बेडकर और दलित आदोलन

I

हिन्दुस्तान के दो प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। रामायण मे राम और महाभारत मे कृष्ण महापुरुष हैं। ये दोनो नायक प्राचीन हिन्दू सस्कृति के आधार पुरुष बन गए हैं। लेकिन इन दोनो महापुरुषो की सारी ऊचाइयो के बावजूद इनके युगो पर दो कलक लगे हुए हैं। राम के समय मे शम्बूक का गला काटा गया है और कृष्ण के समय मे एकलव्य का अगूठा काटा गया है। यह एक अजीब बात है कि शम्बूक और एकलव्य दोनो मे से एक भी द्विज नही है।

भारत की बीसवी शताब्दी को गाधी का युग कहा जा सकता है। इस समय इस देश ने एक हजार वर्ष पुरानी गुलामी के जुए को उतार फेंका था। गाधी इस युग के महानायक के रूप मे उभर कर सामने आए थे। इसी काल मे युग पुरुष डा० अम्बेडकर ने जन्म लिया और भारतीय सस्कृति के उत्थान मे बहुत योगदान दिया। यह बात अच्छी मानी जाए या बुरी मानी जाए लेकिन यह सच है कि डा० अम्बेडकर ने भी अपने समय मे महात्मा गांधी से कुछ महत्त्व पूर्ण सवाल किए थे। यदि राम के युग पर शम्बूक के वध का तथा कृष्ण के युग पर एकलव्य के अगूठा कटने का कोई समाधान कारक उत्तर नही है तो गाधी के युग के पास भी डा० अम्बेडकर के प्रश्नो का कोई समाधान नही है। यह सवर्ण समाज की तार्किक परिणति है कि डा० अम्बेडकर भी द्विज नही थे।

डा० अम्बेडकर के आगमन से पहले दलितो मे सामाजिक चेतना

का जागरण आरम्भ हो गया था। ये जागरण तीन तरह के थे। पहले सवर्णो के कई महापुरुषो ने दलितो के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को शास्त्र सम्मत सिद्ध किया था। इनमे स्वामी दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द के नाम गिनाए जा सकते है। दूसरा स्वय दलितो का सामाजिक नेतृत्व सामने उभर कर आया था। इनमे महाराष्ट्र मे महात्मा ज्योति बा फुले और केरल मे श्री नारायण गुरु का नाम देखा जा सकता है। तीसरे, ईसाई मिशनरियो का धर्म परिवर्तन का आन्दोलन था। वास्तव मे यह ईसाई मिशनरियो का ही दोहरा प्रभाव था कि दलितो मे से उनका सामाजिक नेतृत्व उभर रहा था और सवर्णो के महापुरुष अपने शास्त्रो की युग सम्मत व्याख्या करने मे जुट गए थे।

अम्बेडकर ने तीनो प्रभावो को अपने हाथ मे ले कर आगे बढाया था। अम्बेडकर ने यह भी सिद्ध करके दिखाया था कि इस काम मे उनके हाथ सबलतम है। उन्होने महात्मा ज्योति बा फुले का अपने जीवन मे बहुत सम्मान किया था। दूसरे, उन्होने हिन्दू धर्म शास्त्रो के अपने युग के धार्मिक व्याख्याकारो को चुनौती दी थी। तीसरे, उन्होंने ईसाइयो के धर्म परिवर्तन के आन्दोलन को एक तरह से निष्प्राण और निष्क्रिय कर दिया था।

अम्बेडकर के जीवन सघर्ष और उनके साहित्य और दर्शन को देखने से पता चलता है कि दलितो का उनसे बढकर कोई हमदर्द नही था। उन्होने जिस वर्ग की लडाई अपने हाथो मे ली थी वह पिछले दो हजार वर्षों से अधिक समय से सोया हुआ था। ऐसे मूक और गूगे समाज का सशक्त नेतृत्व बहुत मुश्किल का काम था। डा० अम्बेडकर को नेतृत्व के लिए अपनी जनता से शक्ति नही मिल रही थी बल्कि वे उसे शक्ति और दिशा दोनो दे रहे थे। हिन्दुओ का सवर्ण हिस्सा और भारत का मुस्लिम समाज अग्रेजो के केवल राजनैतिक गुलाम थे। गाधी के युग मे हिन्दुओ का सवर्ण समाज और भारत के मुस्लिम दोनो ही सेनाओं मे भर्ती थे, प्रशासन मे नौकर शाह थे और खेती, व्यापार और उद्योग मे इनके विस्तार थे। इन सभी क्षेत्रो से दलित वर्ग पूर्णत वचित था।

दलितों के आन्दोलन का सवर्ण समाज साफ साफ उभरने नहीं

देता था। दलितो की समस्या को सवर्ण लोग अपने समाज की आन्तरिक समस्या मानते थे और उसका कोई समाधान भी प्रस्तुत नही करते थे। वे देश के सामने दलितो के केस का स्पष्ट मुददा ही नही बनने देते थे। यह डा० अम्बेडकर की सूझ बूझ और उनके नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता थी कि उन्होने अपने समय म दलितो की समस्या को देश का मुख्य मुददा ही नही बनाया बल्कि उसे सार्वजनिक जीवन की मुख्य धारा का एव अटूट हिस्सा बना दिया था। उन्होने गाधी के आमरण अनशन के रूप मे पूरे देश को हिला कर रख दिया था। उन्होंने इस समस्या को प्रान्तीय स्तर पर छुटपुट सामाजिक सुधारो की अपेक्षा अखिल भारतीय स्तर पर खडा करके पूरे विश्व के सामने समग्र भारतीय जातिबद्ध समाज को ऊपर से नीचे तक झकझोर दिया था।

डा० अम्बेडकर ने दलितो के आन्दोलन को हर क्षेत्र मे अति उच्च स्तर पर ला कर खडा कर दिया था। धम के क्षेत्र मे 1936 मे 'एनिहिलेशन आफ कास्ट' लिख कर हिन्दू शास्त्रो की जितनी खोज-बीन उन्होंने की है और जितने गहन अध्ययन और विश्लेषण के बाद उन्होंने बौद्ध धम को ग्रहण किया है उसके सामने बडे-से बडे आचार्य दग रह जाते है। इस क्षेत्र में उनकी 1956 मे प्रकाशित महानतम पुस्तक 'द बुद्धा एण्ड हिज धम्म' है जो बौद्ध बाइबिल कही जाती है। उन्होंने शूद्रो और अछूतो के प्राचीन इतिहास की जितनी गम्भीर खोज और जाच पडताल की है दूसरे विद्वान उसे पढते ही उनकी बौद्धिक क्षमता का लोहा मान लेते है। उन्होने इस विषय पर 1946 मे 'हू वर शूद्राज ? हाउ दे केम टु बी द फोर्थ वर्णा इन इन्डो आयन सोसायटी' और 1948 मे 'द अनटचेबल्स—हू वर दे एण्ड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स ?' नाम की दो खोजपूण पुस्तकें लिखी थी। महाराष्ट्र सरकार ने उनके अप्रकाशित ग्रथो के जो खण्ड छापे हैं उसका पाचवां भाग पुन अछूतो पर है। उसमे उनकी एक अन्य अप्रकाशित पुस्तक 'अनटचेबल्स आर द चिल्ड्रन आफ इडियाज घेटटो' सकलित है।

सामाजिक सुधार और धार्मिक आन्दोलनो के रूप मे डा० अम्बेडकर ने सबसे पहले 1927 मे दलितो के एक आन्दोलन की अगुवानी करते हुए मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से फूका था और एक दलित के रूप मे महाद के चोबदार नामक सावजनिक तालाब से पानी पिया था।

उन्होने सन 1930 मे नासिक के 'काला राम मदिर' मे दलित प्रवेश का विगुल वजाया था। इस मदिर मे प्रवेश का उनका सत्याग्रह 1935 तक चलता रहा था। उन्होने शिक्षा के क्षेत्र मे 1946 मे 'प्यूपिल्स एजुकेशन सोसाइटी' वना कर स्कूल और कालिजो की भरमार खडी कर दी थी। उन्होने 1950 मे महाराष्ट्र के औरगावाद में मिलिन्द महाविद्यालय की नीव रखी, 1953 में वम्वई मे सिद्धार्थ कालेज आफ कामर्स एण्ड इकोनोमिक्स की स्थापना की और जून 1956 मे वम्वई मे सिद्धार्थ लॉ कालेज खडा किया।

इन सवसे महत्त्वपूर्ण उन्होने दलितो की समस्या का राजनीतिकरण किया था। इसके लिए उन्होने अप्रैल 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडेरेशन और सन 1956 म रिपब्लिकन पार्टी को जन्म दिया था। उनका गाधी से टकराव भी इसी कारण कभी कभी हो जाया करता था। जो सम्पूर्ण समाज मे महत्त्व की दृष्टि से नगण्य थे, जिन्हे मनुष्य तक कहने मे लोगो को एतराज था, उनकी लडाई को राजनैतिक स्तर पर जा कर लडा जाए यह डा० अम्बेडकर का विश्व के सामाजिक जीवन म मानवीय स्तर पर जबर्दस्त योगदान था। यह उनके चिन्तन की इतनी बडी छलाग थी जो दुनिया की उठती हुई दूसरी गरीब कौमो के लिए एक अनूठी मिसाल थी। अमरीका के नागरिक होते हुए भी नीग्रो जनता को वोट देने का अधिकार बहुत बाद मे मिला था।

डा० अम्बेडकर ने दलित आन्दोलन को विस्तार और गहराई दोनो दी थी। राजनैतिक दृष्टि से तो उन्होने इसे जन्म भी दिया था। यह बात डा० अम्बेडकर के राजनीति मे सक्रिय होने से पहले तय हो गई थी कि हर दसवे साल होने वाली जन गणना म दलितो की अलग से गिनती हो। जन गणना म दलितो की अलग गिनती करने के लिए दलितो की एक अलग परिभाषा की जरूरत पडी थी। तत्कालीन सवर्णो ने दलितो की हिन्दुओ से अलग पहचान वाली परिभाषा बनने देनी नही चाही थी। लेकिन यह काम फिर भी हो सका था। इन परिभाषाओं मे सुधार और परिवतन भी होता रहा था। लेकिन ऐसा नही था कि इससे समस्या का समाधान हो गया था। डा० अम्बेडकर के सामने सवर्णों की ओर से दी गई नई और गम्भीर चुनौतियाँ थी।

गोलमेज सभा के वाद ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री ने लाड लोथियन को 'इण्डियन फ्रैंचाइज कमेटी का चेयरमैन बनाया था। इस कमेटी के

सामने यह मुद्दा था कि पिछड़े वर्गों के लिए राजनैतिक आरक्षण मे नामिनेशन करने का तरीका अपर्याप्त है इसलिए इन वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व चुनाव के द्वारा कराने की व्यवस्था ठीक रहेगी। डा० अम्बेडकर को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया था और वे इसमे दलितो के एक मात्र प्रतिनिधि थे। इसमे सवर्णो के आधा दर्जन सदस्य थे। फिर भी डा० अम्बेडकर ने इस कमेटी की बहसो के लिए अपने आपको पूरी तरह तैयार कर रखा था। डा० अम्बेडकर ने सोच रखा था कि इसमे 'सयुक्त बनाम पृथक चुनाव' का मुद्दा उठ कर आएगा। लेकिन डा० अम्बेडकर ने लिखा है कि वे यह जान कर दग रह गए थे कि सवर्णों ने इसमे अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल डाली थी। उन्होने लिखा है—'लेकिन उस कमेटी मे सवर्ण समाज के प्रतिनिधियो ने एक बिल्कुल ही भिन्न और अप्रत्याशित समस्या उठाई जिसकी मुझे भनक भी नही मिल सकी थी। यह अछूतो की जन सख्या को कम करने की रणनीति थी।'[11] सवर्णों ने अस्पृश्यता की ऐसी परिभाषा बनानी चाही थी कि अस्पृश्यो की जन सख्या बहुत कम हो जाए ताकि उनका जन सख्या के अनुपात में राजनैतिक प्रतिनिधित्व नगण्य बन कर रह जाए।

II

डा० अम्बेडकर लन्दन मे होने वाली गोल मेज सभा मे दलितो के प्रतिनिधि बन कर गए थे। गाधी जी पहली गोल मेज सभा मे नही गए थे लेकिन दूसरी गोल मेज सभा मे गए थे। उसमे डा० अम्बेडकर को गाधी जी की जिस बात का विशेष अफसोस और रज था वह यह थी कि गाधी जी ने डा० अम्बेडकर द्वारा दलितो के प्रतिनिधित्व को और स्वय उनकी ईमानदारी को नकारना चाहा था।

गाधी जी ने गोल मेज सभा की बहसो मे डा० अम्बेडकर को दलितो का प्रतिनिधि नही माना था। उन्होने बार-बार डा० अम्बेडकर के प्रतिनिधित्व को खुली चुनौतिया दी थी। 17 सितम्बर, 1931 को सघ सरचना समिति के सामने बोलते हुए गाधी जी ने कहा था

> "यदि यह समान विचार रखने वाले समान उद्देश्यो से परिचालित ऐसे सदस्यो की समिति होती जिन्हे अपने मत देकर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का अधिकार होता तो मैं डा०अम्बेडकर के साथ बहुत दूर तक जा सकता था। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नही है। यह तो बेतरतीब ढग से चुने बेमेल लोगो की एक मडली है जिसका प्रत्येक सदस्य शेष से सवथा स्वतत्र है और इसलिए उसे किसी भी सामान्य नियम का ख्याल किए बिना अपनी राय देने का अधिकार है।"[2]

उन्होंने आगे कहा था

> 'जहाँ तक अस्पृश्यो का सम्बन्ध है, अभी तक मैं यह नही समझ पाया हूँ कि डा० अम्बेडकर क्या कहना चाहते है। लेकिन

इतना तो है ही कि अस्पृश्यो के हितो का प्रतिनिधित्व करने का गौरव अकेले डा० अम्बेडकर साहब को ही प्राप्त नही होगा।"[3]

2 अक्तूबर, 1931 को अल्प सख्यक समस्या समिति की बैठक मे बोलते हुए उन्होने कहा था

"हम मे से प्राय सभी, हम जिन दलो या समुदायो के प्रतिनिधि समझते जाते है, उनके निर्वाचित प्रतिनिधि नही है। हम यहाँ सरकार द्वारा मनोनीत होकर आए है, और जिनकी उपस्थिति एक सर्वसम्मत समाधान के लिए अत्यन्त आवश्यक थी, वे भी यहा आपको नही मिलेंगे।"[4]

16 अक्तूबर 1931 से पूव गाधी जी ने लन्दन मे एक प्रश्नोत्तर मे भाग लिया था। प्रश्नोत्तर के एक अश मे गाधी जी कहते हैं

"मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि डा० अम्बेडकर देश के उसी भाग की तरफ से बोलते है जिस भाग मे वे रहते है। हिन्दुस्तान के दूसरे भागो की तरफ से वे नही बोल सकते। मुझे देश के कई भागो से तथाकथित 'अस्पृश्यो' की ओर से असख्य तार मिले है जिनमे उन्होने डा० अम्बेडकर को अपना प्रतिनिधि मानने से इन्कार किया है।"[5]

गाधी जी ने आगे कहा था

"जब मैं उनका (अस्पृश्यो का) प्रतिनिधित्व करने की बात करता हू तब गोल मेज परिषद मे प्रतिनिधित्व करने की बात कहता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि कोई हमारे इस दावे को चुनौती देता है तो मै खुशी से जनमत सग्रह का सामना करूँगा और उसमे सफल होऊँगा।"[6]

31 अक्तूबर, 1931 के दिन लन्दन के फ्रेंड्स हाउस मे भाषण देते हुए गाधी जी ने कहा था

"अगर वे (डा० अम्बेडकर) अस्पृश्यो के सच्चे प्रतिनिधि होते तो मैं अलग हो जाता। मैं उनका अस्पृश्यो का प्रतिनिधि होने का दावा स्वीकार नही करता। उनका

> प्रतिनिधि मैं हूँ। आप उनसे पूछ कर देखिए। हो सकता है, वे मुझे न चुनें, लेकिन डा० अम्बेडकर तो कदापि नही चुने जाएंगे।"[7]

12 नवम्बर, 1931 को लन्दन की कामन वेल्थ आफ इंडिया लीग मे बोलते हुए गाधी जी ने कहा था

> "यद्यपि मैं डा० अम्बेडकर का प्रतिनिधि नही हूँ लेकिन दलित वर्गो का अवश्य हूँ।"[8]

13 नवम्बर, 1931 को दूसरी गोल मेज सभा की अल्प सख्यक समस्या समिति की बैठक मे बोलते हुए गाधी जी ने कहा था

> "मैं स्वय व्यक्तिगत रूप से अछूतो के विशाल समुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा करता हू। यहा मैं स्वय अपनी ओर से भी बोल रहा हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि अछूतो का मत लिया जाए तो मुझे उनके मत मिलेगे और मेरा स्थान सबसे ऊपर होगा।"[9]

उन्होने इस क्रम मे आगे कहा था

> "अपने उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखते हुए मैं यह कहता हूँ कि डा० अम्बेडकर का सारे भारत के अछूतो की ओर से बोलने का दावा उचित नही है।"[10]

इस प्रकार देखा जा सकता है कि गाधी जी ने डा० अम्बेडकर के दलितो की ओर से बोलने के अधिकार को ही चुनौती दे डाली थी। डा० अम्बेडकर को ब्रिटेन मे इस समस्या का सामना करना पडा था। तब के दलितो के पास धर्म, धन, सत्ता और सम्मान मे से कुछ भी हासिल नही था। लेकिन इस मुसीबत की चरम परिणति इस बात मे थी कि उनका प्रतिनिधित्व और नेतृत्व भी उनसे छीना जा रहा था। जब दलित को अपना प्रतिनिधि आप बनने का अवसर न मिले तो यह दलितो के इतिहास की सबसे बडी विडम्बना होती है। उनके इस विचार के विरोध मे डा० अम्बेडकर ने 8 अक्तूबर, 1931 को गोल मेज सभा की अल्प सख्यक समिति की नौवी बैठक मे कहा था

> "हम इस आरोप को नही नकार सकते कि हम सरकार के नामित व्यक्ति है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे इस

बारे मे जरा भी सन्देह नही है कि यदि भारत के दलित वर्गों को इस कान्फ्रेंस के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका दिया जाता तो वे मुझे जरूर चुनते। इसलिए मैं कहता हूँ कि चाहे मैं नामित प्रतिनिधि हूँ या नामित प्रतिनिधि नही हूँ, मैं अपने समुदाय के लोगो के दावो का पूरी तरह प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले मे कोई किसी गलतफहमी मे न रहे।"[11]

गाधी जी के इस दावे के बारे में कि दलितो का प्रतिनिधित्व वे डा० अम्बेडकर से अधिक करते हैं, डा० अम्बेडकर ने इसी बैठक में कहा था

"इस दावे के बारे में मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि गैर जिम्मेदार लोग ऐसे झूठे दावे किया ही करते है जबकि सच यह होता है कि उन दावो से सम्बन्धित लोग उन्हे सदा ही नकारते ह।"[12]

गाधी जी डा० अम्बेडकर के बारे में कुछ और भी कह जाते थे। उन्होंने 24 अक्तूबर 1931 को आक्सफोर्ड में भारतीय मजलिस में डा० अम्बेडकर की गोल मेज सभा में दलितो के लिए पृथक निर्वाचन मडल की माग के बारे में कहा था

"हो सकता है, उससे खुद उन्हे (डा० अम्बेडकर को) सत्ता और पद मिल जाए लेकिन अस्पृश्यो की कोई भलाई नही होने वाली है।"[13]

आर्य समाज के जात पात तोडक मडल ने डा० अम्बेडकर को अपने 1936 के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया था। यह अधिवेशन लाहौर में होने वाला था। डा अम्बेडकर ने इसके लिए अपना अध्यक्षीय भाषण लिख कर तैयार किया था। जात पात तोडक मण्डल की स्वागत समिति ने तय पाया कि अध्यक्षीय भाषण में व्यक्त विचार मण्डल को सहन नही होगे। इसलिए 1936 का वह अधिवेशन ही रद्द कर दिया गया था। डा० अम्बेडकर ने अपने उस भाषण को उसका पूरा कारण बताते हुए 'एन्निहिलेशन आफ कास्ट' नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित करा दिया।

गाधी जी ने इस पुस्तक पर अपने 'हरिजन' पत्र में 'डा० अम्बेडकर का अभियोग' शीर्षक से तीन किश्तो मे एक लेख लिखा था। इसमे गाधी जी ने अन्य बातो के अलावा यह भी लिखा था

> "वे भविष्य में जो कुछ भी करे लेकिन डा अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हे जो खुद को कभी भूलने नही देते।"[14]

ऊपर देखा जा सकता है कि गाधी जी डा० अम्बेडकर पर कभी सत्ता और पद के लोभ का और कभी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगा देते थे। इस बारे में डा० अम्बेडकर ने अपनी प्रतिक्रिया इन शब्दो में जाहिर की थी

> "जबकि में गाधी जी की इस बात के लिए प्रशसा करता हूँ कि उन्होने मेरी इस पुस्तक पर अपनी राय लिखी है, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि ये महात्मा मुझ पर यह आरोप लगाते है कि मैंने बिना दिए भाषण को छपवा कर ख्याति अर्जित करने की कोशिश की है। ये महात्मा कुछ भी कहे लेकिन इस पुस्तक को छपवाने मे मेरा उद्देश्य यह था कि हिन्दुओ को सोचने के लिए मजबूर किया जाए कि वे वस्तुस्थिति को समझे। मैं कभी नाम कमाने के पीछे नही दौडा हूँ और यदि कहूँ तो मुझे यह ख्याति मेरी चाहत और जरूरत से ज्यादा मिली हुई है। लेकिन यदि यह माना भी जाए कि मैंने यह पुस्तक अपने लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रकाशित कराई है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मुझ पर इस आरोप को लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह तो सच है कि महात्मा जैसे लोग जो खुद इस गिरफ्त में आ सकते हे मुझ पर यह आरोप नही लगा सकते।"[15]

गोल मेज सभा के बाद ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री रेम्जे मक्डानाल्ड ने भारत को 17 अगस्त 1932 के दिन कम्यूनल अवार्ड दिया था। गाधी जी ने इस अवार्ड के खिलाफ आमरण अनशन कर दिया था। तब गाधी जी जेल में थे। इस अनशन की समाप्ति के रूप में 1932 में एक समझौता हुआ था जिसे 'पूना पैक्ट' कहा जाता है।

1931 का पूना पैक्ट भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह इतिहास का एक ऐसा मिलान बिन्दु था जिसमें सवर्णों और दलितों को अपने-अपने विचारों को त्यागना पड़ा था। इस पूना पैक्ट के तहत सवर्णों ने अपने हिस्से में से कुछ दिया था और दलितों को कुछ मिला था। इसमें कई सवर्ण यह सोचने लगे कि इस देने में उनका सवस्व लुट गया है और कई दलित यह कहते पाए गए कि वास्तव में उन्हें कुछ भी नहीं मिला।

कम्यूनल अवार्ड के अनुसार दलितों को दो वोटों का अधिकार मिला था। राजनैतिक आरक्षण को आधार बना कर विधायिका में इन लोगों के लिए 78 सीटें आरक्षित की गई थी। इन्हें विशेष चुनाव क्षेत्र कहा गया था। दलितों को अधिकार दिया गया था कि इन 78 चुनाव क्षेत्रों में दलित अपने प्रतिनिधियों को स्वय चुनेंगे। सामान्य वर्ग के लोग उसमें वोट नहीं डालेंगे। इनके सिवा अन्य सभी सामान्य सीटों के लिए भी दलित अपना वोट देंगे। इस प्रकार दलितों को मिली हुई दो वोटों का अर्थ था—

1 अपना प्रतिनिधि वे स्वय चुनेंगे,

2 सामान्य प्रतिनिधि चुनने में भी अपना पूरा असर रखेंगे।

इस प्रकार कम्यूनल अवार्ड के कारण वे पूरी भारतीय राजनीति की धुरी बन गए थे।

पूना पैक्ट में सख्या की दृष्टि से दलितों के लिए दुगुनी सीटें आरक्षित की गई थी और राजनैतिक धारा की दृष्टि से इसका फल बिलकुल दूसरा हुआ था। पूना पैक्ट ने आरक्षित सीटें 78 की बजाय 151 कर दी थी लेकिन उसमें यह भी तय हुआ कि दलितों के प्रतिनिधियों को दलित और सामान्य वर्ग के लोग मिल कर चुनेंगे। यह समझौता 24 सितम्बर, 1932 को यरवदा जेल पूना में हुआ था। इसमें दलितों की ओर से डा॰ अम्बेडकर ने और हिन्दुओं की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें हस्ताक्षर करने वालों में अन्य प्रमुख नाम राज गोपालाचार्य, डा॰ राजेन्द्र प्रसाद और ठक्कर बापा के थे।[16]

कम्यूनल अवार्ड से ले कर पूना पैक्ट तक में दलितों की अब तक की राजनीति का सार है। आज कल दलित आन्दोलन के समीक्षकों द्वारा दलित राजनेताओं पर तरह-तरह के आरोप लगाए जाते हैं।[17] उनको

शिकायत होती है कि राजनीति के क्षेत्र मे वे दलितो की सच्ची आवाज नही बनते हैं। उधर यह भी सच है कि देश की पूरी राजनीति से जुड कर हर पाँच साला या मध्यावधि चुनाव दलितो को कुछ न कुछ दे कर जाता है। डा॰ अम्बेडकर दलितो की बडी सख्या को भारत की राजनीति मे एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते थे। यह काम डा॰ अम्बेडकर जिस रफ्तार मे चाहते थे वैसे नही हो रहा है लेकिन यह मानना पडेगा कि यह धीरे धीरे अवश्य हो रहा है। भारतीय राजनीति सीधे सीधे दलितो के हाथ मे नही आ रही है पर वे समूची भारतीय राजनीति पर अपना प्रभाव बढाते जा रहे हैं।

इन वर्गों के लिए राजनीतिक आरक्षण मे सासदो और विधायको के लिए चुनाव क्षेत्र आरक्षित होते हैं। ये लोक सभा और विधान सभाओ मे लागू होते हैं। ये आरक्षण सविधान के लागू होने से आज तक हर बार दस वर्ष के लिए बढाए जाते रहे हैं। आगे भी इनके काफी दिनो तक बढते रहने की सभावना है। इस स्थिति का विश्लेषण यह कहता है कि अभी भी राजनीतिक दृष्टि से दलितो का प्रतिनिधित्व जन सख्या के अनुपात मे पूरा होने के बाद भी गुणात्मक रूप से परिपक्व अवस्था मे नही आ सका है। इस सच की मुसलमानो के प्रतिनिधित्व से तुलना की जा सकती है। इस समय भारत मे मुसलमानो की जन सख्या अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो की जन सख्या से बहुत कम है। मुसलमानो के लिए ऐसे किसी राजनैतिक आरक्षण की व्यवस्था भी नही है। फिर भी मुसलमानो के प्रतिनिधि सामान्य सीटो से चुनाव जीत कर एक बडी सख्या मे सासद और विधायक बनते है। लोक सभा मे मडल आयोग की रिपोर्ट पर बहस के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त 1984 के आकडो के अनुसार अल्प सख्यको की जनसख्या कुल का 10 5 प्रतिशत होने के मुकाबले मे उनका राजनीति मे प्रतिनिधित्व 3 0 प्रतिशत है। इसके विपरीत, यदि अनुसूचित जातियो और जन जातियो का राजनतिक आरक्षण समाप्त कर दिया जाए तो इसकी पूरी-पूरी सभावना है कि इन वर्गों की मुसलमानो से अधिक जनसख्या होने पर भी इन वर्गों का एक व्यक्ति भी सासद या विधायक न बन पाए। इस परिणाम पर इस कारण पहुँचा जा सकता है कि इस समय

इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटो के अलावा सामान्य सीटो मे से कोई इक्का-दुक्का सासद या विधायक चुन कर आ पाता है हालांकि इन्हे लोक सभा की सारी 543 सीटो पर चुनाव लडने की मनाही नही है। यदि इनके राजनैतिक नेतृत्व मे परिपक्वता हो तो ये लोग भारतीय राज नीति की अधिक सक्रिय और कारगर सेवा कर सकते है।

III

पिछले पृष्ठो मे अम्बेडकर और गाधी का वार्तालाप दिया गया है लेकिन वास्तव मे डा० अम्बेडकर और गाधी जी को एक साथ समझना इतना आसान काम नही है। गाधी जी के बारे मे अनेक लोगो ने माना है कि वे एक जटिल व्यक्ति थे। डा० अम्बेडकर भी कई लोगो के लिए समझ मे न आ सकने वाली एक पहेली थे। जब ये दोनो महापुरुष अकेले-अकेले जटिल थे तो इनके साथ साथ होने पर वह स्थिति बेहद जटिल बन जाती थी।

महापुरुषो की छोटे या बडे के रूप मे तुलना नही की जा सकती। हम केवल यह जानने का प्रयत्न करें कि ये दोनो महापुरुष एक दूसरे को कितना समझते थे। हम उन क्षणो को ढूढें जब ये दोनो एक दूसरे से टकराव मे आते थे, पर हम उन क्षणो को भी जाने जब ये दोनो सहलास मे बैठ कर एक दूसरे की प्रशसा किया करते थे। इसमे सदेह नही कि इतिहास मे ये दोनो क्षण मौजूद है।

गाधी जी ने डा० अम्बेडकर को हिन्दू धर्म के लिए एक चुनौती कहा था। दूसरी ओर डाक्टर अम्बेडकर ने महात्मा गाधी के बारे मे कहा था— 'महात्मा गाधी न केवल दलितो के एक मित्र का पार्ट अदा नही नही कर रहे है किन्तु वह एक ईमानदार दुश्मन का पाट भी अदा नही कर रहे है।''[19] उन्होने गोल मेज सभा के बाद भारत मे आ कर अपनी जनता से कहा— 'मुझे देशद्रोही कहा गया है क्योकि मैंने गाधी जी का विरोध किया है। मैं इस आरोप से तनिक भी विचलित नही हूँ। यह आधार रहित, झूठ तथा मन की गन्दगी से भरा है लेकिन ससार को इससे बडा धक्का लगा कि गाधी जी ने तुम्हारी बेडियाँ तोडने के अनेको विरोध किए। मुझे विश्वास है कि हिन्दुओ की भावी सन्तान जब गोल

मेज सभा का इतिहास पढेगी तो मेरी सराहना करेगी।

वैचारिक और राजनैतिक विरोध के साथ-साथ इन दोनो महापुरुषो ने एक दूसरे की सराहना भी की है। बहुत जल्दी में एक-दूसरे को पूरी तरह समझ गए थे। इन दोनो को एक दूसरे की कद्र करते हुए एक दूसरे के साथ रहना था। ये दोनो ऐसी जगह पहुँच गए थे कि एक दूसरे को भ्रम में नही रख सकते थे और धोखा नही दे सकते थे। ये एक दूसरे के सामने राजनीति नही खेल सकते थे। यदि गाधी जी का काम अम्बेडकर के सामने खालिस राजनीति से चल सका होता तो वे 1932 में आमरण अनशन के लिए मजबूर न होते। डा० अम्बेडकर ने गाधी जी को जिस जगह ढकेल दिया था, उस जगह गाधी जी के पास आमरण अनशन के सिवा कोई चारा नही रह गया था। गाधी जी ने अपने राजनैतिक जीवन में जिस तरह के हथियारो को तरजीह दी थी, अम्बेडकर के सामने उन्होने उसमें से सबसे खतरनाक हथियार का प्रयोग किया था। गाधी जी के पास आमरण अनशन से बढ कर अपना कोई दूसरा ब्रह्मास्त्र शेष नही रह गया था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि वे दूसरी तरह के व्यक्ति होते तो दूसरी तरह का सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करते। लेकिन जो वे नही थे उसके बारे में कुछ भी सोचना बेकार है। वे राम नही थे जो शम्बूक का गला काटने चल देते। लेकिन गाधी जी के इस आमरण अनशन से स्थिति इतनी खतरनाक हो गई थी कि उसके अनन्तर कुछ भी कसर बाकी नही थी। इस प्रकरण को ले कर उनके अनुयायियो में से अधिकाश की सोच अजीब तरह की हो गई थी।

डा० अम्बेडकर राजनीति नही खेलते थे। वे हमेशा राजनैतिक जजीर को तोड कर फेंक देते थे। न ही उनका आन्दोलन चलाने के लिए हिंसा में विश्वास था। वे यही कहते थे कि मेरे सामने आओ और और मुझसे बात करो। वे समस्या को आदमियो की तरह तर्क से, बहस से और समझदारी से सुलझाना चाहते थे। उनका हथियार उनकी विद्वत्ता थी। वे भारतीय समाज मे लोक तन्त्र और कानून के द्वारा शान्ति चाहते थे। इस मामले मे उनका रास्ता गाधी जी के जैसा ही था। गाधी जी का अग्रेजो मे यही कहना था—'हमने आपका क्या

बिगाडा है ? आप हमारे देश पर कब्जा किए हुए हैं। इस देश को हमारे हाथो मे छोडकर चले जाओ। इसमे लडाई भिडाई की कोई बात नही।" डा० अम्बेडकर भारतीय समाज से यही कहते थे—"आप हमे मनुष्य न मान कर अछूत क्यो मानते है ? आप हमे मन्दिरो से दूर क्यो रखते हैं ? आप हमारी बहू बेटियो का अपमान क्यो करते है ? इसमे किसी प्रकार के लडाई-झगडे की आवश्यकता और गुजाइश नही है।"

गाधी जी ने डा० अम्बेडकर की अनेको बार प्रशसा की है। गोल मेज सभा की बहसो मे डा० अम्बेडकर गाधी जी पर बुरी तरह बरसे थे। एक दिन उन्होने बहस मे गाधी जी की बहुत बुरी हालत कर दी थी। इस पर पत्रकारो ने गाधी जी से पूछा कि कल की घटना के बाद आपके डा० अम्बेडकर के बारे मे क्या विचार हैं। इस पर गाधी जी ने कहा—"डा० अम्बेडकर के प्रति मेरे मन मे बडा सम्मान है। उन्हे कटु होने का पूरा अधिकार है। अगर वे हमारा सर नही फोड देते तो इसी को उनका बहुत बडा आत्म सयम मानना चाहिए।'[21] एक अवसर पर उन्होने कहा था कि यदि दलितो मे डा० अम्बेडकर जैसे थोडे से व्यक्ति और पैदा हो जाएँ तो इन कौमो का भला हो जाए। वास्तव मे इन दोनो व्यक्तियो के बारे मे यही कहा जा सकता है कि ये दोनो बेजोड थे। पूना पैक्ट के दिन जब गाधी जी एक तरह से मृत्यु शैया पर पडे थे तब डा० अम्बेडकर समझौते की एक एक शर्त पर दृढता से बहस कर रहे थे। उन्होने इतने बडे तनाव मे भी दब कर या झुक कर काम नही किया, न ही वे स्टेट्समैनशिप मे हार गए थे। इस पर गाधी जी को डा० अम्बेडकर से कहना पडा—"आपके खिलाफ मेरी सबसे बडी शिकायत यह है कि आप सामने वाले पक्ष को जरा सी भी इज्जत देने को तैयार नही हैं। आप कट्टर हैं तथा विरोधी की इज्जत पर विश्वास रखने को तैयार नही हैं।"[22] और जब पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हो गए तब डा० अम्बेडकर ने गाधी जी से कहा—'आपके आदमियो ने मुझे समझने का जितना प्रयत्न किया, उसके बनिस्बत आपने मुझे समझने का प्रयत्न अधिक किया। मुझे लगता है कि इन लोगो की अपेक्षा आप मे और मुझ मे अधिक साम्य है।[23] तब सब खिल खिला कर हंस पडे और गाधी जी ने कहा—हा, हा।" इन्ही दिनो गाधी जी ने कहा था—

"कट्टरता के अर्थ मे मैं भी एक तरह का अम्बेडकर ही तो हूँ।"[24] गाधी जी को और गाधी जी के अनुयायियो को यह पता नही था कि डाक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन मे एक महान प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जिस गरीब कौम मे मैं पैदा हुआ हूँ यदि उसके भले मे कुछ काम न कर सका तो गोली मार कर आत्म हत्या कर लूगा। पूना पैक्ट के बारे मे डा० अम्बेडकर ने कहा भी था—"इस प्रकरण मे खल नायक होना मेरे भाग्य मे बदा है। परन्तु जिसे मैं पवित्र कर्तव्य मानता हूँ, उससे मैं विचलित नही होऊँगा। मैं अपने लोगो के न्यायोचित हितो के प्रति विश्वास घात नही करूँगा, फिर भले ही आप मुझे नजदीक के रोशनी के खम्भे पर फासी चढा दे।"[25]

अब पूरी तरह से समझा जा सकता है कि दलित आन्दोलन का नेतृत्व किसने किया ? इसे चार प्रश्नो मे रखा जा सकता है

क दलितो की मागो का चार्ट किसने तैयार किया ?
ख उन मागो को मनवाने के लिए कौन लडा ?
ग क्या वे मागे आसानी से मान ली गई थी।
घ वे मागे किसने मानी ?

इसके साथ दो अनुपगी प्रश्न और बनते है

च क्या माग रखने वाले के पास अपनी और मागे बची थी जो नही दी गई ?
छ क्या देने वाला उससे अधिक देना चाहता था जितनी मागे रखी गई ?

ऊपर 'क' और 'ख' का उत्तर डा० अम्बेडकर है। 'ग' का उत्तर यह है कि वे आसानी से नही मानी गई थी। 'घ' का उत्तर यह है कि वे ब्रिटिश शासको और भारतीय नेताओ ने मानी थी। 'च' का उत्तर यह है कि डा० अम्बेडकर के पास बहुत मागे थी जो वे रखना चाहते थे। 'छ' का उत्तर यह है कि देने वालो के पास देने को इससे अधिक कुछ नही था। वास्तव मे देने वालो को ऐसे समय बिना हिसाब किताब रखे सदभावना मे अपना घर ही लुटा देना चाहिए था।

जिस समय यह लेख लिखा जा रहा है उसे देखते हुए दलित आन्दोलन के इस विषय को पूर्ण बनाने के लिए इसमे बाबू जगजीवन राम का

जिक्र करना जरूरी है। उनके जिक्र मे उनकी दो भूमिकाएँ रही— पहली डाक्टर अम्बेडकर के जीवन काल मे और दूसरी डाक्टर अम्बेडकर के निधन के बाद। उनकी इन दोनो भूमिकाओ की यह भी एक सीमा थी कि ये दोनो उनकी केवल राजनैतिक भूमिकाएँ थी।

बाबू जगजीवन राम का डाक्टर अम्बेडकर से राजनैतिक अन्तर था। डाक्टर अम्बेडकर के काम को देखने से पता चलता है कि उन्होने इस अन्तर को कभी कोई अहमियत नही दी और न इसकी खास परवाह की। वे पूना पैक्ट के उस राजनैतिक गणित को अच्छी तरह से समझते थे जिस पर स्वय उन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे। यह पैक्ट उनके हाथ का खेल था जो ठीक नही बैठा। इसलिए उनके मन मे इस बात को ले कर कटुता का प्रश्न नही था। बाबू जगजीवन राम से बडे होने के नाते उन्हे केवल यह अधिकार मिला था कि वे अपनायत के कारण रज कर सकते थे। राजनीति मे ज्यादा जुडने के कारण बाबू जगजीवन राम को भी यह पता था कि उन्हे डाक्टर अम्बेडकर का दाँया हाथ बनने का अवसर प्राप्त नही है। बाबू जगजीवन राम राजनीति मे दूसरे खेमे के व्यक्ति थे। राजनैतिक शैली के विरोधो को छोड कर बाबू जगजीवन राम ने भी डाक्टर अम्बेडकर के प्रति सदा शालीनता बरती थी।

डाक्टर अम्बेडकर के निधन के बाद दलितो का आन्दोलन तो नही पर राजनैतिक प्रतिनिधित्व एक तरह से बाबू जगजीवन राम के हाथ मे आ गया था। उन्होने इस कार्य को बडी गरिमा से निभाया भी था। दलितो को इस बात का गौरव है कि डाक्टर अम्बेडकर के बाद जगजीवन राम के रूप मे उन्होने हिन्दुस्तान को अपना एक अच्छा राजनेता दिया था। बाबू जगजीवन राम भारत के दलितो की तरफ से भारतीय राजनीति मे एक अच्छा योगदान थे। जब बाबू जगजीवन राम पर भारतीय राजनीति मे सकट के बादल छाए थे तो दलितो का यही पूछना होता था कि उनसे जुड कर चलने वाला और उनके मतलब का बाबू जगजीवन राम से बढ कर हम अपना दूसरा नेता और कहा

से लाएँ और उसकी भी यह दुर्दशा है ! वास्तव मे, डाक्टर अम्बेडकर के निधन के बाद बाबू जगजीवन राम दलितो के अफसरो के मनोबल को थामने वाले भारत सरकार की ओर से एक अच्छे सहारे बन गए थे। उसके बाद वे सपूण भारतीय राजनीति मे दलितो की राजनैतिक ख्वाहिश बन गए थे जो पूरी नही हो सकी।

यदि यह कहा जाए कि बाबू जगजीवन राम का दलित आन्दोलन से कोई लेना देना नही था और वे केवल दलित राजनीति से जुडे थे तो इसमे अतिशयोक्ति नही होगी। यही डाक्टर अम्बेडकर और जगजीवन राम मे ज्यादा बडा फर्क था। डाक्टर अम्बेडकर ने दलित आन्दोलन को खडा किया था जिसे आगे बढाना तो दूर बाबू जगजीवन राम उसका ठीक तरह से प्रतिनिधित्व भी नही कर सके। इसलिए कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण भारतीय राजनीति को अपना 'बाबू जी' देने मे दलितो ने अपना 'जगजीवन राम' खोया था। वास्तव मे इस प्रक्रिया मे दलितो को कुछ नही मिला—जो मिला वह केवल बाबू जगजीवन राम के रूप मे एक राजनैतिक शालीनता थी जिस पर वे गर्व कर सकते है। बाबू जगजीवन राम ने भारतीय राजनीति मे ऐसा कोई काम नही किया जिससे दलितो का सिर नीचा हो।

जहा तक दलितो की अपनी बात है उन्हे अपनी ख्वाहिशो मे बाबू जगजीवन राम के रूप मे नुकसान ही हुआ है। लेकिन डाक्टर अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम दोनो के राजनैतिक जीवन का अन्त एक ही तरह से होने के बाद भी उन दोनो मे बडा अन्तर था। बाबू जगजीवन राम राजनीति मे एक बार हारे तो सब कुछ हारते चले गए लेकिन डाक्टर अम्बेडकर ने राजनीति मे हार जाने के बाद धर्म के क्षेत्र मे भारत के इतिहास मे अपना महानतम आदोलन खडा कर दिया था। वास्तव मे डाक्टर अम्बेडकर का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वे शान्त रह ही नही सकते थे। वे आन्दोलनो को जन्म दिया करते थे। वे मूलत आन्दोलनकारी थे—वे आन्दोलनो की शुरूआत किया करते थे। फिर वे ऐसे ग्रन्थ लिख कर अपने पीछे

छोड गए हैं जिससे इस बात मे कोई शक नही रह जाना चाहिए कि उनके आन्दोलन इस देश मे तभी समाप्त होंगे जब अस्पृश्यता का बीज नाश हो जाएगा और दलितो को बराबरी का हक मिल जाएगा।

IV

अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो से सम्बन्धित रक्षा के उपाय सविधान के जिन अनुच्छेदो मे आए है वे इस प्रकार हैं—16(4), 17, 19 (5), 46, 164(1), 244, 244 क, 275, 330, 332, 334, 335, 338, 339, 341, 342, 371 क, 371 ख, 371 ग। ये अनुच्छेद विभिन्न विषयो में फैले हुए हैं। इन्हे पढने से पता चलता है कि सविधान को अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो का शुरू से आखिर तक ध्यान रहा है। सविधान के मौलिक अधिकार वाले अध्याय में दूसरी जातियो के मुकाबले मे इन जातियो को विशेष आरक्षण देने का रास्ता निकाला गया है। ऐसा अनुच्छेद 16 (4) मे किया गया है। यह इसलिए सम्भव हो सका क्योकि डा० अम्बेडकर भारत के सविधान के मुख्य शिल्पकार थे।

सविधान का अनुच्छेद 17 इस देश के आज तक के सामाजिक इतिहास मे सबसे बडा कदम है। इसमे अस्पृश्यता के बारे मे इस प्रकार की व्यवस्था की गई है—"अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है तथा किसी रूप मे इसके प्रचलन को वर्जित किया जाता है। 'अस्पृश्यता' से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता के लिए बाध्य करने के कृत्य को कानून के अनुसार एक दण्डनीय अपराध माना जाएगा।" सविधान में छुआछूत के नाश का यह गम्भीर घोष मनुस्मृति के देश मे डा० अम्बेडकर का डका है। वास्तव में, मनुस्मृति के धार्मिक आदेशो के खिलाफ नए भारत के नागरिको के जीवन मे अस्पृश्यता के नाश को मौलिक अधिकार बना देना कोई छोटी बात नही है।

ऐसे ही अनुच्छेद 335 सघ और राज्य सरकारो की सेवाओ

जातिया के हिता की गारन्टी देता है। अनुच्छेद 46 नीति व निदेशक तत्वा वाले अध्याय मे अतर्गत है। इसमे इन जातिया के लोगा के शैक्षिक और आर्थिक हिता की उन्नति के लिए विशेष सावधानी बरतने तथा सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से मुक्ति दिलाने की बात कही गई है।

जहाँ तक अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो के लिए सवैधानिक रक्षा के उपायो का सम्बन्ध है, उसके दो पहलू हैं

पहला, क्या ये पर्याप्त हैं ?

दूसरा, उन्हे लागू करने की शक्ति किसे प्राप्त है ?

जहाँ तक पहले प्रश्न का उत्तर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग की अप्रैल 1979 से मार्च 1980 तक की दूसरी रिपोर्ट मे सविधान के अनुच्छेद 46 को थोडे बहुत परिवतन से नीति के निदेशक सिद्धान्त वाले अध्याय से निकाल कर मौलिक अधिकार वाले अध्याय मे रखने की सिफारिश की गई है।"[6] इस परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है कि सविधान के अनुच्छेद 37 मे यह उपबध है कि 'नीति के निदेशक सिद्धान्त' वाले अध्याय मे किए गए उपबधो को किसी न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तित नही किया जा सकता। इसलिए कानूनी दृष्टि से ये प्रावधान निष्प्रभावी बन कर रह जाते है। डा० अम्बेडकर ने इस विषय पर अपने विचार एक पुस्तक 'स्टेट्स एण्ड माइनारिटीज' के रूप मे लेखबद्ध करके 24 मई 1947 को नेहरू जी को भेजे थे। उनका सुझाव था कि ससदीय लोक तन्त्र की सीमा के भीतर राजकीय समाज वाद की स्थापना के लिए 'आर्थिक शोषण के खिलाफ जो सरक्षण प्रदान किए जाएँ उन्हे मूलभूत अधिकार के भाग मे शामिल किया जाए।"[27]

उस समय नेहरू अम्बेडकर की बात नही मान सके थे। यह उनके नेतत्व की समस्या थी। लेकिन नेहरू अम्बेडकर के इन विचारो को त्याग भी नही सके थे। नेहरू ने लिखा था—"सिद्धान्त रूप से हम इन उपबधो को सविधान मे शामिल कर सकते है यद्यपि वे मूलभूत अधिकारो की पारम्परिक सकल्पना के अनुरूप नही हैं। आपका यह कहना भी ठीक है कि पुरानी सकल्पना को व्यापक बना कर आर्थिक

लोक तन्त्र को इसमे शामिल किया जाना चाहिए। हमने इस लक्ष्य को उद्देश्यो मे सम्बन्धित प्रस्ताव मे कुछ अस्पष्ट रूप से ही सही अपने सामने रखा भी है। लेकिन मुझे लगता है कि सविधान मे, विशेषकर मूलभूत अधिकारो के भाग मे, आर्थिक ढाँचे का स्वरूप ठीक ठीक निर्धारित करना ठीक नही होगा। आखिरकार यह व्यावहारिक मसला है और हमे सोचना है कि किस तरह जल्दी से जल्दी हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते है।'[28] लेकिन अपने प्रधान मन्त्रित्व काल मे चौथा सविधान सशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हुए नेहरू जी ने कहा था—"यदि नीति निदेशक तत्वो तथा मूल अधिकारो मे अन्तर्निहित विरोध हो तो नीति निदेशक तत्वो को प्राथमिकता दी जाएगी और ससद का यह कतव्य होगा कि सविधान मे सशोधन करके इस अन्तर्विरोध का अन्त कर दे।"[29] दूसरे प्रश्न के उत्तर मे आयोग ने लिखा है

(1) व्यावहारिक अनुभव से यह पता चलता है कि कुछ मामले ऐसे है जो राज्यो के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। किन्तु जब राज्य सरकारें अनुसूचित जन जातियो के सरक्षण अथवा उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त उपाय नही कर पाती तब सघ सरकार को, अनुच्छेद 339 (2) में किए गए उपबन्धो के अतिरिक्त, राज्य सरकारो को निर्देश देने का कोई प्राधिकार प्राप्त नही है। अनुच्छेद 339 (2) मे सघ सरकार को दी गई शक्ति भी अनुसूचित जन जातियो के कल्याण तक ही सीमित है, इसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियो का कल्याण शामिल नही है।[30]

(2) उपर्युक्त के अलावा अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो के विरुद्ध किए गए अत्याचार के मामले मे उन्हे सरक्षण दिए जाने के सदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि क्योकि कानून और व्यवस्था का विषय राज्य सरकारों का विषय है सघ सरकार को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक प्राधिकार प्राप्त नही है। अनुभव से यह पता चलता है कि अत्याचार के मामलो में, विशेष कर

> अनुसूचित जातियो के विरुद्ध अत्याचारो मे बहुत वृद्धि हुई है। अक्सर यह महसूस किया जाता है कि राज्य सरकारो ने न तो ऐसे विशिष्ट मामलो में कोई प्रभावी कारवाई की है और न अनुसूचित जातियो के विरुद्ध होने वाले अत्याचारो को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए है।[31]

इस पूरे विश्लेषण से दो बातें स्पष्ट उभर कर आती है

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित कोई भी कानून, भर्ती अभियान और आर्थिक कार्यक्रम सीधे केन्द्र सरकार के द्वारा या केन्द्र सरकार की सौ प्रतिशत देख-रेख में चलाया जाए। यह इस चिन्तन की अनिवार्य परिणति है कि अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो के कल्याण के लिए इस देश मे सदा एक मजबूत केन्द्र की माग की जाएगी। इन वर्गों के लोगो को सेवाओ में भर्ती के लिए अपेक्षाकृत सघ लोक सेवा आयोग, कमचारी चयन आयोग और बडे-बडे बैंकिंग भर्ती बोर्डों पर अधिक विश्वास है। उन्हे स्थानीय निकायो, कालेजो, छुटपुट के दफ्तरों और क्षेत्रीय सस्थानो मे बैठ कर भर्ती करने वाले अधिकारियो पर ज्यादा विश्वास नही है।

(ख) नौकरशाही का निर्वैक्तिक चरित्र मानने से भारी भूल हो सकती है। इस मान्यता मे जिनके खिलाफ कानून बनाया जाता है, वे ही लोग उस कानून को लागू करने के लिए तैनात किए जाते हैं। फलत कानून और कार्यक्रम सफलता की ओर नही जा पाते। डा० अम्बेडकर ने भारत की नौकरशाही का वग चरित्र माना है। इसलिए उन्होने इस नौकरशाही में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगो का जन सख्या के अनुपात मे प्रतिनिधित्व देने की बात रखी थी। लेकिन यह उनके लिए एक समझौता भर था। वे अपने चिन्तन में प्रतिबद्ध नौकरशाही के पक्ष में रहे थे। उन्होंने लिखा है—'यह असम्भव है कि ब्राह्मण और अब्राह्मण, हिन्दू और मुसलमान, छूत और अछूत मे

असमानता को मिटाने के लिए चल रहे इन आंदोलनों में, जज, मजिस्ट्रेट, लोक सेवक और पुलिस अपने निर्णयों में इन संघर्षों को अच्छा या बुरा कहने में प्रभावित न हो। खुद उन संघर्ष शील समाजों के सदस्य होने के नाते वे पक्षधर होने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि जनता का उन पर से विश्वास उठ सकता है।"[32]

V

हमारे देश का जागरूक नेतृत्व इस मामले मे बहुत कुछ करना चाहता है। भारतीय समाज मे अस्पृश्यता की विशेष स्थिति को देखते हुए सविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 बनाया गया था। बाद मे उसका नाम बदल कर सिविल अधिकार सरक्षण अधिनियम, 1955 रखा गया। लेकिन 11 सितम्बर, 1989 को राष्ट्रपति की स्वीकृति से एक नया अधिनियम जारी हुआ है। इसका नाम 'अनुसूचित जाति औरअनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' है। इस अधिनियम के आने से ही पता लगता है कि अभी हमारे समाज मे अस्पृश्यता की समस्या बनी हुई है। भारत सरकार के कल्याण मत्रालय के अन्तगत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग के अध्यक्ष ने 9 जनवरी, 1989 को अस्पृश्यता की समस्या पर एक रिपोर्ट पेश की है। इसमे बताया गया है कि अभी इस समय तक हमारे समाज मे अस्पृश्यता के 18 रूप प्रचलित है। ये रूप इस प्रकार है [33]

1 पूजा स्थानो और सावजनिक मन्दिरो मे प्रवेश की मनाही,
2 पेय जल स्रोतो तक न पहुँचने देना,
3 चाय की दुकानो, होटलो, रेस्तराओ आदि में प्रवेश न देना।
4 नाई की सेवाएँ उपलब्ध न हो पाना,
5 धोबी की सेवाएँ उपलब्ध न हो पाना,
6 सामाजिक समारोहो में भाग न लेने देना,
7 ग्राम 'चौपाल' या ग्राम सभा में प्रवेश न देना,

8 शैक्षणिक सस्थाओ, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रो आदि में भेदभाव बरतना,

9 सावजनिक होटलो, रेस्तराओ आदि में रखे बतनो का उपयोग न करने देना,

10 शवो को हटाने, झाड़ू लगाने आदि जैसे व्यवसाय करने को बाध्य करना,

11 किसी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार आदि को करने से रोकना।

12 सार्वजनिक श्मशान या कब्रिस्तान का प्रयोग न करने देना,

13 सावजनिक रास्ते, सडक आदि का प्रयोग न करने देना,

14 अनुचित या अपमान जनक भाषा का प्रयोग करना,

15 किसी आवासीय क्षेत्र का निर्माण या अधिग्रहण न करने देना,

16 धर्मशाला, सराय आदि मे प्रवेश न देना,

17 गहनो, आभूषणो आदि को न पहनने देना,

18 सामान्य दुकानो से सामान न लेने देना।

इस रिपोर्ट मे अस्पृश्यतता के कारणो के बारे मे भी खोजबीन की गई थी। रिपोर्ट के कार्य कर्ताओ ने अपना कार्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिल नाडु तक सीमित रखा था। इसमे अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति के लोगो से पूछा गया था कि वर्ण व्यवस्था को मानने से और धार्मिक पुस्तको के पढने से अस्पृश्यता जन्म लेती है या नही। आयोग को जो पता चला वह नीचे एक चार्ट बना कर दिया जा रहा है।[34]

अस्पृश्यता जारी रहने के कारणो की जानकारी

अनुसूचित जाति

के सम्मति देने वालें उत्तर दाताओ की सख्या का विवरण

क्रम सख्या	कारण	कुल सख्या	राय नही भेजी	राय भेजी	स्वीका-रात्मक राय	कुल उत्तरदाताओ से स्वीकारात्मक राय देने वालो का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सस्कारजन्य वर्ण व्यवस्था की भावना	929	149	780	452	57 9
2	धार्मिक पुस्तको को पढने मे उत्पन्न हुई धार्मिक कट्टरता और पक्षपात की भावना	929	149	780	212	27 2

गैर अनुसूचित जाति

के सम्मति देने वाले उत्तर दाताओ की सख्या का विवरण

1	सस्कारजन्य वर्ण व्यवस्था की भावना	599	103	496	265	53 4
2	धार्मिक पुस्तको का पढ़ने मे उत्पन्न हुई धार्मिक कट्टरता और पक्षपात की भावना	599	103	496	199	40 1

दलितो के सम्बन्ध मे डाक्टर अम्बेडकर को इस प्रकार समझा जा सकता है कि उनका दलितो से सरोकार कितना था। इसका उत्तर यह है कि उनका दलितो से हटकर और कोई सरोकार नही था। उन्होंने अपने समय मे केवल दलितो के लिए काम किया और प्राचीन साहित्य मे भी उनकी खोज के विषय शूद्र और अछूत थे। यह बात ध्यान देने की है कि डाक्टर अम्बेडकर से पहले भारत के आधुनिक विद्वान इन विषयो मे कोई रुचि नही लेते थे। और यह केवल डाक्टर अम्बेडकर थे जो प्राचीन धार्मिक साहित्य मे से पहली बार यह खोज कर सामने लाए कि उनमे अस्पृश्यता का जन्म किस जगह है। इसके लिए उन्होंने मनुस्मृति मे से 8 और विष्णु स्मृति मे से 2 श्लोक विशेष रूप से उद्धृत किए हैं। ये 10 श्लोक वर्ण व्यवस्था से बाहर अस्पृश्यो के जन्म और उनके पेशो के बारे म बताते हैं। ये इस प्रकार है

1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णों से बाहर जितने लोग है, वे चाहे म्लेच्छ भाषा बोलते हो या आर्य भाषा बोलते हो, वे सब दस्यु कहलाते हैं।[35]

2 ये गाँव की सीमा पार के वृक्ष समूहो के नीचे, श्मशानो में, पर्वतो और वनो मे अपने अलग-अलग पेशो के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं।[36]

3 लेकिन, चाण्डाल और श्वपच, ये दोनो गाँव के बाहर बसे। ये बर्तन आदि से वंचित है और इनका धन कुत्ते और गधे हैं।[37]

4 उनके कपडे मुर्दों के हो, वे टूटे-फूटे बर्तनो मे भोजन करें, उनके आभूषण लोहे के हों और वे सदा घुमक्कड जीवन व्यतीत करें।[38]

5 धर्मात्मा पुरुष इन लोगो के सम्मुख न पड़ें। इनका विवाह इन्ही में परस्पर होता है और ये आपस में ही सम्बन्ध रखें।[39]

6 इनका भोजन दूसरो के अधीन है। इन्हे फूटे बर्तन मे अन्न दिया जाना चाहिए और ये लोग रात के समय गाँवो और

शहरो मे घूमने न आएँ ।[60]

7 ये लोग राजा की आज्ञा से अपनी जाति के चिह्न के सहित दिन मे अपने कार्य के लिए जाएँ और जिस मृतक का कोई सम्बन्धी न हो उस शव को ले जाएँ, यह शास्त्र का नियम है ।[61]

8 ये लोग राजा की आज्ञा से शास्त्र विधि के अनुसार वध योग्य पुरुषो का वध करें और उन्ही वध्य पुरुषो के वस्त्र, शय्या और आभूषण ग्रहण करें ।[62]

9 जो निम्न जाति की स्त्री के साथ सम्बन्ध रखता है, वह वध्य है ।[63]

10 यदि कोई अस्पृश्य जानबूझ कर किसी सवर्ण को छूता है तो ऐसा अस्पृश्य वध्य है ।[64]

दलितो के सम्बन्ध से डा० अम्बेडकर का आन्दोलन सम्पूर्ण था। उनके आन्दोलन की यह सम्पूर्णता साहित्यिक क्षेत्र तक फैली हुई है। अब दलित साहित्यकारो द्वारा यह क्रान्तिकारी काम किया जा रहा है।

देखा जाए तो इस समय अस्पृश्यता को मिटाने की बहुत बडी जिम्मेदारी साहित्यकारो की भी है। उनका मुख्य काम दलितो के बच्चो के मन मे जो हजारो वर्षों की प्रताडना से हीनता की ग्रंथि घर कर चुकी है उसे मिटाने का है। उनका दूसरा काम भारतीय समाज के सारे लोगो को यह समझाने का है कि अस्पृश्यता को बरतना कानून के अनुसार दण्डनीय ही नही बल्कि मानवीय स्तर पर भी बुरा है। तीव्रता और गहराई की दृष्टि से दलित साहित्य यह मान कर चलता है कि अस्पृश्यता मनुष्य का अपमान है और जब तक साहित्यकार के सामने मनुष्य का अपमान हो रहा है, तब तक यदि वह उस विषय को छोडकर अपने मन के अन्दर के अन्य कम महत्वपूर्ण विषयो पर लिखे तो वह अपने काम के प्रति पूरा न्याय नही कर रहा है।

चूंकि डा० अम्बेडकर के जीवन का महाराष्ट्र के दलितो पर सीधा प्रभाव पड रहा था इसलिए साहित्यिक क्षेत्र मे महाराष्ट्र के दलित साहित्यकारो का योगदान अग्रणी रहा है। उन्होने अपनी कविताओ,

कहानियो और उपन्यासो द्वारा अपनी बात सबसे पहले कहनी शुरू कर दी थी, और चूंकि दलित साहित्यकारो के पास कहने के लिए अपनी बिल्कुल नई चीजें थी इस कारण उनकी विधाएँ भी नई आई। वे साहित्य मे पारम्परिक शैली, रूढ उपमाओ और पुरानी विधाओ से हट कर नई शली, नई उपमाएँ और नई विधाएँ खोज कर लाए। इस महत्वपूर्ण कदम के आरम्भ में दलित साहित्य के उफान को ऊबड खाबड स्थानो से गुजरना पडा था, लेकिन अब वह हिन्दी में सयत हो कर बहने को छटपटा रहा है। मराठी क दलित साहित्य ने मराठी साहित्य मे वाद के रूप में एक विशिष्ट पहचान बना ली है, लेकिन अब हिन्दी में भी वह तमाम हिन्दी पर छा जाने को आतुर है। मराठी के दलित साहित्य ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अनेको मान्यताएँ हासिल की है लेकिन हिन्दी का दलित साहित्य विश्व साहित्य मे अपनी नई मान्यताएँ स्थापित करने के सपने सजो रहा है।

हिन्दी के दलित साहित्य मे दलित और गैर दलित दोनो वर्गों के साहित्यकार सामने आ रहे हैं। नामकरण की दृष्टि से कई साहित्यकार अभी पशोपेश मे हैं। इसके लिए एक नया नाम 'शेप साहित्य' उभर कर आ रहा है। केवल दो चार लोगो के लिए सिर हिलाने वाली शास्त्रीय कलाओ की बनिस्वत इसमे श्रमिको और कारीगरो के लोक जीवन से जुडी हुई कलाएँ प्रतिष्ठित की जा रही हैं। इसमें जीवन की आवश्यकताओ को कला से जोडा जा रहा है।

अब तक मराठी के दलित साहित्य मे उपन्यास के रूप मे 'आत्मकथा' एक प्रमुख विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। हिन्दी मे दलित वर्गों के दलित साहित्यकारों मे अभी कविता एक लोकप्रिय विधा है। हिन्दी के गैर दलित वर्गों के दलित साहित्यकारो मे कहानी और उपन्यास भी विधा के रूप मे उभर कर आ रहे है। दलित वर्ग के दलित साहित्यकारो में डा० सुखवीर सिंह की 'अनलर और 'बयान बाहर' काव्य पुस्तकें बेजोड है। ओम प्रकाश बाल्मीकि की 'सदियो का सताप' नाम की काव्य पुस्तक बहुत छोटी है परन्तु गुणात्मक दृष्टि से अभिव्यक्ति में बेहद सशक्त है। डा० श्याम सिंह शशि की पौराणिक सदर्भों

की विचार प्रक्रिया 'अग्नि सागर' से चल कर 'एकलव्य तक पहुँच चुकी है।

हिन्दी में गैर दलित वर्गों के दलित साहित्य में रमेश गौड की काव्य पुस्तक 'पतन गाथा' एक महत्वपूर्ण कृति है। अदम गोंडवी की 'धरती की सतह पर' नाम की पुस्तक में सग्रहित नज्में हमें 'चमारो की गली तक' ले जाती है। प्रदीप माण्डव का 'जरीब कहानी सग्रह हिन्दी कहानी के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है। ये गर दलित वर्ग के कवि और लेखक ज्यादातर अपने आपको मार्क्सवादी और जनवादी साहित्य कार कहते हे। लेकिन प्रदीप माण्डव अपने दृष्टि कोण में भी खुद को एक दलित साहित्यकार कहते है। उनके कहानी सग्रह का प्रत्येक वाक्य सीधे दलितो से जुडा है।

इस समय दलित साहित्य अखिल भारतीय स्तर पर लिखा जा रहा है। यह सारी आधुनिक भाषाओ में समृद्ध होना जा रहा है। इन सारी भाषाओ के सकडो साहित्यकारो को एक मच पर लाने की जरूरत महसूस की गई थी। इसके लिए 1984 में नई दिल्ली में भारतीय दलित साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डा० सोहन पाल सुमनाक्षर इसे बडी निष्ठा से चला रहे हैं। यह अकादमी प्रति वर्ष सभी भारतीय भाषाओ मे 'अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और 'अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार' प्रदान करती है। अभी तक यह अकादमी भारतीय भाषाओ मे 40 'अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार' और 4 'अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर चुकी है। अनेक राज्यो मे इसकी क्षेत्रीय इकाइयाँ खुल चुकी है। इसके राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत प्रभावशाली होते जा रहे है। इसमें भाषा, प्रान्त, जाति, धर्म, लिंग और राजनैतिक दलो का कोई अन्तर नही है। इसके सेमिनारो में दलित साहित्यकारो के विचारो का आदान प्रदान निरन्तर चल रहा है।

VI

सविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियो के लिए सरकारी कार्यक्रमो की बात रह जाती है। इनमे सबसे पहला और मुख्य कार्यक्रम सरकारी सेवाओ में इन जातियो के लिए आरक्षण को पूरी तरह से अमल में लाने का है। यदि हम अखिल भारतीय स्तर पर केवल केन्द्र सरकार की बात को लें तो जन सख्या के अनुपात में 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7 5 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लोगो के लिए सेवाओ में आरक्षण की व्यवस्था है। यह आरक्षण पहली दूसरी, तीसरी और चौथी—चारो श्रेणियो मे लागू है। दिनाक 1-1 1988 को केन्द्र सरकार मे इनका वास्तविक प्रतिनिधित्व नीचे लिखे अनुसार है [45]

क्रम सख्या	पदो की श्रेणी	प्रतिनिधित्व का प्रतिशत	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क	8 67	2 30
2	ख	11 18	2 10
3	ग	14 80	4 48
4	घ	19 88	6 10

इन आकडो को देखने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति मे एक वर्ग घ' श्रेणी के पद को छोड कर अन्य किसी भी श्रेणी मे निर्धारित

की विचार प्रक्रिया 'अग्नि सागर' से चल कर 'एकलव्य तक पहुँच चुकी है।

हिन्दी में गैर दलित वर्गों के दलित साहित्य में रमेश गौड की काव्य पुस्तक 'पतन गाथा' एक महत्वपूर्ण कृति है। अदम गाडवी की 'धरती की मतह पर' नाम की पुस्तक में सग्रहित नज्में हमे 'चमारो की गली तक' ले जाती हैं। प्रदीस माण्डव का 'जरीब' कहानी सग्रह हिन्दी कहानी के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है। ये गर दलित वर्ग के कवि और लेखक ज्यादातर अपने आपको मार्क्सवादी और जनवादी साहित्य कार कहते ह। लेकिन प्रदीप माण्डव अपने दृष्टि कोण में भी खुद को एक दलित साहित्यकार कहते है। उनके कहानी सग्रह का प्रत्येक वाक्य सीधे दलितो से जुडा है।

इस समय दलित साहित्य अखिल भारतीय स्तर पर लिखा जा रहा है। यह सारी आधुनिक भाषाओ में समृद्ध होता जा रहा है। इन सारी भाषाओ के सैकडो साहित्यकारो को एक मच पर लाने की जरूरत महसूस की गई थी। इसके लिए 1984 में नई दिल्ली में भारतीय दलित साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डा० सोहन पाल सुमनाक्षर इसे बडी निष्ठा से चला रहे हैं। यह अकादमी प्रति वष सभी भारतीय भाषाओ मे 'अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और 'अम्बेडकर अ तर्राष्ट्रीय पुरस्कार' प्रदान करती है। अभी तक यह अकादमी भारतीय भाषाओ में 40 'अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार' और 4 'अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार' प्रदान कर चुकी है। अनेक राज्यो मे इसकी क्षेत्रीय इकाइयाँ खुल चुकी हैं। इसके राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत प्रभावशाली होते जा रहे है। इसमें भाषा, प्रा त, जाति, धम, लिग और राजनैतिक दलो का कोई अन्तर नही है। इसके सेमिनारो में दलित साहित्यकारो के विचारा का आदान प्रदान निरन्तर चल रहा है।

सविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियो के लिए सरकारी कार्यक्रमो की बात रह जाती है। इनमें सबसे पहला और मुख्य कार्यक्रम सरकारी सेवाओ में इन जातियो के लिए आरक्षण को पूरी तरह से अमल में लाने का है। यदि हम अखिल भारतीय स्तर पर केवल केन्द्र सरकार की बात को लें तो जन सख्या के अनुपात में 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7 5 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लोगो के लिए सेवाओ में आरक्षण की व्यवस्था है। यह आरक्षण पहली दूसरी, तीसरी और चौथी—चारो श्रेणियो मे लागू है। दिनाक 1-1-1988 को केन्द्र सरकार मे इनका वास्तविक प्रतिनिधित्व नीचे लिखे अनुसार है [45]

क्रम सख्या	पदो की श्रेणी	प्रतिनिधित्व का प्रतिशत	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क	8 67	2 30
2	ख	11 18	2 10
3	ग	14 80	4 48
4	घ	19 88	[illegible] 10

इन आँकडो को देखने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति मे एक वग 'घ' श्रेणी के पद को छोड कर अन्य किसी भी श्रेणी मे निर्धारित

कोटा पूरा नही किया गया है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो के बारे मे यह भ्रम हो जाता था कि शायद इनमे कोटा पूरा कर लिया गया है। लेकिन अब सरकार स्वीपरों को आरक्षण के कोटे के लिए नही गिनती है।[46]

फिर जो लोग सरकारी सेवाओ मे आ जाते हैं, ऐसा नही है कि उनकी सभी समस्याएँ नौकरी प्राप्त करने से समाप्त हो जाती हैं। उनकी अगली समस्याएँ सेवा सम्बन्धी शिकायतो की होती है जिनमे अनेक प्रकार के मानसिक उत्पीडनो के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। चयन करने मे और नियुक्ति आदेश देने मे विलम्ब करना, समय पर पदोन्नति न देना, वरिष्ठता का गलत निर्धारण किया जाना, पदावनति कर देना, रोस्टर न बनाना, आरक्षण नीति को लागू न करना, सवर्णों द्वारा अनुसूचित जाति के झूठे प्रमाण पत्र बनवा कर नौकरी हथिया लेना, नियोजक द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार करना, अनुभव तथा शैक्षिक योग्यता आदि मे कानून सम्मत छूट न देना, गलत सोचे हुए स्थानान्तरण, नौकरी से निकाल देना, गोपनीय रिपोर्टों मे प्रतिकूल इन्दराज कर देना ताकि पदोन्नति का हकदार न बन सके, अनियमित नियुक्तिया, प्रशिक्षण सुविधाएँ देने से इंकार—ये इतने सारे मामले हैं जो अनेको अवसरो पर इन वर्गों के लोगो को दुखी किए रहते हैं। स्वय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग ने लिखा है कि उसके पास वर्ष 1884-85 के दौरान 3165 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमे से 1112 इसी प्रकार की शिकायतो के थे। इनमें से 57 शिकायतो को खुद आयोग ने दूर करवाया था।[47] इन्ही कारणो से कई लोग कोर्ट में जा कर अपना धन मन और समय बर्बाद करते रहते हैं।

यहाँ सरकार के परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रयत्नो का जिक्र किया जाना जरूरी है। सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रशिक्षण देने की आवश्यक्ता महसूस की है ताकि वे लोग परीक्षाओ में अपनी अच्छी योग्यता दिखा सकें। इस समय देश में 103 ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं।

पिछले वर्ष केन्द्र सरकार के सामने यह बात बडी गम्भीरता से

सामने आई थी। इसके लिए केन्द्र ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगो के लिए तीन महीने का विशेष भर्ती अभियान छेड़ा था। इसका फोलो अप भी बहुत अच्छा किया गया है। अभी भी यह काम जारी है। इसमें कानून की दृष्टि से भी कई अच्छी बाते बनी है। सीधी भर्ती में 'बैक लोग' की नई परिभाषा आई। इस विशेष भर्ती अभियान का परिणाम मन्त्रालयो विभागो, केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालयो और रेलवे के दफ्तरो को सम्मिलित करते हुए इस प्रकार है

क्र० स०	रिक्तियां/नियुक्तियां	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रिक्तियां	18002	17645	35647
2	नियुक्ति दी गई	17326	13927	31253

आज दलितो का हर मुद्दा आरक्षण पर आ कर रुक जाता है। आरक्षण के बारे मे कई विचार बनते है। स्वय दलितो की दृष्टि से इस पर दो तरह के विचार बनते है। असल में दो भी न रह कर दलितो के चार विचार बन जाते है। गर दलितो के भी विचार जानने के लिए एक चार्ट बना कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। चार्ट इस प्रकार बनता है

	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का आरक्षण		
	सेवाओं मे	राजनीति मे	शिक्षा मे
(क) दलित हिन्दू			
(1) उदार वादी	हा	हाँ	हाँ
(2) गैर उदार वादी	हा	नही	हाँ
(ख) नव बौद्ध	हा	हा	हाँ
(ग) गैर दलित हिन्दू			
(1) उदार वादी	हा	हा	हाँ
(2) गैर उदार वादी	नही	नही	नही
(घ) अहिन्दू			
(1) ईसाई	नही	नही	नही
(2) मुसलमान	नही	नही	नही

इस विश्लेषण मे जैन और सिखो को गैर दलित हिन्दू माना जा सकता है। सिखो मे अनुसूचित जाति के लोगो के आरक्षण की पूरी सुविधा है। प्रधान मन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की महाराष्ट्र में की गई नई घोषणा के अनुसार अब अनुसूचित जाति के लोगो को बौद्ध बनने पर भी आरक्षण की वे सारी सुविधाएँ मिलेंगी जो उन्हें पहले मिलती रही हैं। इस घोषणा से डा० अम्बेडकर के धार्मिक आन्दोलन और देश के भावी इतिहास पर गहरा असर पडने वाला है।

यहाँ यह भी ध्यान रहे कि ऊपर के खाने पहली बार में सामान्य बुद्धि से भरे गए हैं। अधिक गहराई में जाने से इनमें परिवर्तन हो सकते हैं। दलितो से ले कर गैर दलितो तक और हिन्दुओ से ले कर गैर हिन्दुओ तक के लोगो के सरकारी और गैर सरकारी मतव्यो मे अन्तर पड जाते हैं। एक ही मनुष्य के सरकारी मत और गैर सरकारी मत आपस म विरोधी तक हो सकते ह। इसलिए ऊपरी आंकडो से लोगो के भीतर वाले मन की बात का पता नही चलता। यह मनोवृत्ति की, इरादे की मनोवृत्ति की और धर्मान्धता से जुडी हुई मनोवत्ति की बात भी है।

VII

भारत मे वर्ष 1984 मे अत्याचार के जिन मामलो म अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति शिकार हुई, उसका अपराध वार विवरण इस प्रकार है[48]

क्र० स०	जाति	हत्या	हिंसा	बलात्कार	आगजनी	भारतीय दड सहिता के अधीन अन्य कारण
1	अनुसूचित जाति	551	1468	696	988	12883
2	अनुसूचित जन जाति	144	296	283	123	2965
	योग	695	1764	979	1111	15848

पूरे देश में 1984 के दौरान अत्याचार के जिन मामलो में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति शिकार हुई उनके पुलिस और न्यायालयो मे लम्बित पडे मामलो की सख्या इस प्रकार है[49]

क्र० स०	जाति	पुलिस में अन्वेषण पूरा होने वाले लम्बित पडे मामलो की सख्या	न्यायालय में ट्रायल के लिए लम्बित पडे मामलो की सख्या
1	अनुसूचित जाति	4416	28873
2	अनुसूचित जन जाति	2693	3688
	कुल	7109	32561

आयोग ने अपनी समीक्षा में कहा है कि कुल मामलो में से औसतन 25 प्रतिशत मामले न्यायालयो तक पहुँच पाए है और उनमे से

14 प्रतिशत मामले दोष सिद्धि में समाप्त हुए है। इन आकडो के बारे मे आयोग आगे लिखता है—"1984 में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलो में से केवल 10 प्रतिशत मामलो मे अपराधी दोषी पाए गए जबकि शेष 90 प्रतिशत मामलो में अपराधी या तो पुलिस अन्वेषण के दौरान छूट गए या फिर साक्ष्य के अभाव मे न्यायालयो द्वारा छोड दिए गए।"

आयोग ने इस कमी के प्रमुख कारण इस प्रकार बताए है—"पुलिस द्वारा की गई जाँच पडताल में त्रुटिया रह जाना, न्यायालयो में अभियोजन पक्ष के अधिकारियो द्वारा मामलो को निपटाने मे अकुशलता अथवा उदासीनता दिखाना, तथा उत्पीडित व्यक्तियो और उनके गवाहो का दबाव, लालच अथवा धमकियो के आगे झुक जाना। बहुत से मामलो मे मुकदमा लम्बा खिच जाने से उत्पीडित व्यक्ति न्यायालय में अपने मामलो का सफलता पूर्वक सचालन नही कर पाते और हतोत्साहित हो जाते है।"[50]

आयोग ने इस बारे मे सरकार को अपनी सिफारिश दी है। आयोग की यह सिफारिश बहुत महत्वपूण है। आयोग लिखता है—"न्यायालयो मे छुआछूत के मामलो के असफल होने के कारणो की राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त स्तर पर समीक्षा कराई जाए। पुलिस अथवा अभियोजन पक्ष के कर्मचारियो की लापरवाही के कारण यदि न्यायालयो में मामला दोष मुक्ति मे समाप्त हो जाता है तो सरकार द्वारा अधिकारियो के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी ओर जिन अधिकारियो का काम अच्छा पाया जाता है उन्हे समुचित प्रोत्साहन दे कर सम्मानित किया जाना चाहिए।"[51]

आयोग इस समझ तक पहुँच गया है कि हमारी सरकारी सेवाओ में दो तरह के कमचारी और नौकरशाह शामिल हैं। एक वे है जो छुआछूत के मामलो म लापरवाही करते है और दूसरे वे हैं जो इन्हे निष्ठा पूवक निपटाते है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि लापरवाह नौकरशाहो को दण्ड तथा अच्छा काम करने वाले नौकरशाहो को

प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे आगे आयोग ने इस समस्या का विश्लेपण नही किया है।

आयोग ने समस्या को टुकडो टुकडो मे समझने मे कोई भूल नही की है। उसने अपनी इसी रिपोर्ट मे अत्याचारो के पीछे कारणो का जिक्र करते हुए लिखा है—"अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो मे शिक्षा का अभाव और आर्थिक पिछडेपन के कारण साहूकार, ठेकेदार और ऊँची जाति के भूस्वामी इनका शोषण करते है। अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो पर ऊँची जाति के प्रभाव शाली भूस्वामियो का सदियो से दबदबा और आधिपत्य चला आ रहा है—उसमे वे कोई ढील नही देना चाहते।"[12]

इस उद्धरण मे आयोग समस्या के असली कारण के बहुत नजदीक आ चुका है। आगे उसे जो काम करना था वह पहली और दूसरी बात को आपस मे जोड देना था। यह काम उसने नही किया है। साहूकार, ठेकेदार और ऊँची जातियो के भूस्वामी अनुसूचित जातियो को आगे बढने देना नही चाहते। फिर उन्ही के बच्चे बिना किसी लोक तान्त्रिक समाज वादी और धम निरपेक्ष स्क्रीनिग के गणित और सामान्य ज्ञान के प्रश्नो को हल करके शक्ति शाली नौकर शाह बन जाते है। यही डा॰ अम्बेडकर का चिन्तन शुरु हो जाता है। इसलिए डा॰ अम्बेडकर प्रतिबद्ध नौकर शाही की बात करते हैं।

अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर कायक्रम चलाए जा रहे है वे प्रयोगात्मक स्तर के है। उन्हे हर दूसरे, तीसरे या पाचवे साल मे बदल दिया जाता है। जो आई॰ आर॰ डी॰ पी॰, एस॰ एफ॰ डी॰ ए॰ और एम॰ एफ॰ ए॰ एल॰ की स्कीमे थी उन्हे अन्त मे विशेप सघटक योजना मे परिवर्तित कर दिया गया है। जहाँ तक डा॰ अम्बेडकर के चिन्तन का सवाल है वे इस क्षेत्र मे इतने प्रयोग करने वाले नही थे। उनके मस्तिष्क मे इन वर्गों के विकास के लिए एक मुकम्मिल और ठोस योजना थी। यह इस बात से जाहिर होता है कि डा॰ अम्बेडकर तत्कालोन प्रधान मन्त्री पडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा उनको अपने कैबिनेट मे दिए गए विधि मन्त्री

के पद से सन्तुष्ट नही थे ।[53] डा० अम्बेडकर का मानना था कि उन्हें विधि मन्त्री के रूप मे कोई खास काम करने का अवसर प्राप्त नही हो सकेगा । यह सोचने की बात है कि योजना मन्त्री के रूप मे वे देश के लिए किस प्रकार की योजना बना कर देते । वास्तव मे यह यकीन करने का पूरा कारण है कि उनके दिमाग मे देश के भविष्य के बारे मे अपने ढग का एक पूरा खाका था ।

जहा तक विशेष सघटक योजना की सफलता या असफलता की बात है, उसके लिए छठी पच वर्षीय योजना वर्ष 1980 85 के लिये बजट मे रु० 4, 204 करोड आवटित किए गए थे । इसमे से रु० 3,533 करोड खच हुए । इसके साथ ही, इन वर्गो को ऊपर उठाने के लिए केद्र सरकार कुछ विशेष सहायता भी देती है । छठी पच वर्षीय योजना मे इसके लिए रु० 600 करोड की राशि म से रु० 595 करोड खच हुए है । सातवी पच वर्षीय योजना मे इस मद में रु० 930 करोड आवटित किए गए हैं ।[54]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग की छठी रिपोर्ट मे पहली स्कीमो की समीक्षा की गई है । आयोग ने लिखा है कि ये स्कीमें बिना किसी परिप्रेक्ष्य के तदथ आधार पर तैयार की गई जिनका स्वरूप मुख्यत कल्याण योजनाओ का था ।[55] सातवी रिपोट में आयोग ने लिखा है—"यह देखने म आया है कि अधिकाश राज्य सरकारो ने ठीक प्रकार से योजना तैयार किए बिना विशेष केन्द्रीय सहायता खर्च करने की प्रवृत्ति बना ली है जबकि पहले उन क्षेत्रो और कार्यक्रमो की शिनाख्त की जानी चाहिए जिन पर यह सहायता खर्च की जाती है ।"[56]

आयोग की सातवी रिपोट म कहा गया है—"अधिकाश गरीब वर्गों को न तो इन योजनाओ और न ही अपेक्षित काय प्रणाली की कोई जानकारी है । गरीब वर्गों में जो थोडे से लोग लाभ प्राप्त करने के लिये चुन लिए जाते हैं, उन्हें प्राय ऐसे दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करने क लिए बाध्य किया जाता है जिसका अथ वे पूरी तरह नही समझते हैं तथा अभीष्ट लाभ का मात्र एक छोटा सा हिस्सा उन्हे मिल जाता है ।'[57]

सरकार की विभिन्न रिपोर्टें बताती है कि इन कार्यक्रमो को लागू करने मे विशेष सफलता प्राप्त नही हुई है। लेकिन इनका ढग से विश्लेषण करने की भी जरूरत है। इस बात को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है कि ये कार्यक्रम फेल क्यो होते है या इनमे अपेक्षित सफलता क्यो नही मिल पाती ?

डा० अम्बेडकर ने अपने समय मे इस कारण का ऐतिहासिक विश्लेषण किया था। इन सारी असफलताओ के लिए उन्होने भारत की नौकर शाही को जिम्मेदार बताया था। उनके समय में ये कार्यक्रम शुरू भी नही हुए थे—इनमें से बहुत सारे अभी बाद के कार्यक्रम हैं लेकिन इनकी असफलताओ के बारे म उन्होने इनके जन्म लेने से पहले ही समाज मनोविज्ञान के आधार पर भविष्य वाणी कर दी थी। उन्होने पूछना चाहा था कि अपने जीवन मे अस्पृश्यता को बरतने वाले अधिकारी अस्पश्यता को कैसे मिटा देंगे ? जमीदारो के युवक नौकर शाह होने पर अपनी कृषि जमीन को भूमि हीनो मे कैसे बाट देंगे ? अपने घर में भगी को मनुष्य न मानने वाला जज एक भगी द्वारा किसी सवण के खिलाफ मान हानि के मुकदमे को कैसे स्वीकार करेगा ?

पहले भी बताया गया है कि भारत मे नौकर शाही का निर्वैयक्तिक चरित्र माना गया है। इसमे माना गया है कि कैसे भी सविधान या किसी भी विचार धारा को ले कर कोई भी व्यक्ति या दल देश का शासक बन जाए, यह नौकर शाही उसी की सेवा करने लगेगी। डा० अम्बेडकर ने इसे सही नही माना है। इस बारे मे उन्होने कार्ल मार्क्स को याद किया है कि वे ऐसे चिन्तक थे जिन्होने प्रतिबद्ध नौकर शाही की जरूरत महसूस की थी। डा० अम्बेडकर इस देश मे अपने हिसाब की ऐसी ही प्रतिबद्ध नौकरशाही की आवश्यकता पर बल देते है।

VIII

हमारे पूर्व प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने अपने विभिन्न भाषणों में कहा था कि लोगों को इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने 18 जून, 1988 को कोयम्बतूर में जिला अधिकारियों की कार्यशाला में दिए गए अपने भाषण में कहा था—'प्रशासन पर होने होने वाला खर्चा पहले ही बहुत बढ़ गया है। हमारे पास जनता को देने के लिए जो कुल धन उपलब्ध होता है, उसके बड़े हिस्से को प्रशासन की अपनी लागत हड़प जाती है और उसका थोड़ा सा भाग ही लोगों को मिल पाता है।"[58] उन्होंने इस बात को 24 फरवरी, 1989 को 'पंचायती राज और अनुसूचित जाति' के विषय पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई कान्फ्रेंस में अपने भाषण में आगे और स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था—'हमें मालूम है कि हम दिल्ली से कार्यक्रमों को ठीक तरह से लागू करने में सफल नहीं हो रहे हैं—कहीं न कहीं इस प्रक्रिया में कुछ न कुछ गलत है। और जब निचले स्तर पर कोई गलती होती है तो हम इस बात का भी अन्दाज लगाने में असमर्थ रहते हैं कि जो अच्छा या बुरा होता है वह किस हद तक है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और शिकायतें करते हैं। कुछ दूसरे लोग मन्त्रियों, सांसदों और विधायकों से शिकायतें करते हैं लेकिन अन्त में ये केस जाँच पड़ताल के लिए उसी स्तर पर जाते हैं जिस स्तर पर गलती हुई होती है। परिणाम स्वरूप, इन मामलों में की गई कार्रवाई न आपको सतुष्ट कर पाती है और न हमें ही और आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है।"[59]

इस देश में प्रशासन के बारे में नए चिन्तन की जरूरत की बात पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी 2 अक्टूबर, 1963 को कुरुक्षेत्र में दिए

गएअपने भाषण में कही थी। पूर्व प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने, पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्द उद्धृत किए थे--'अब हमें धीरे धीरे यह पता चला है कि हमारे प्रशासनिक ढांचे का सारा दृष्टिकोण ही बदला जाना है। यदि सच मे प्रगति की जानी है तो इसे खास तौर पर निचले सबकों मे और ग्रामीण भारत मे बदलने की बेहद जरूरत है।"[60] स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गाधी ने भी कहा था कि नौकर शाही हमारे देश के विकास के रास्ते मे एक भारी रोडा है।

राजीव गाधी ने इस कान्फ्रेंस मे अपने समापन भाषण मे स्पष्ट रूप से कहा था --"आपने अपना यह विचार मजबूती से रखा है कि आप प्रशासन का विश्वास नही करते।" इसके बाद उन्होने इस समस्या के समाधान मे राज्य सरकारो की बात उठाई थी। उन्होने कहा था कि राज्य सरकारो के साथ कुछ गलत फहमी और सन्देह घर कर चुके हैं। उन्होने समाधान मे बताया कि हम राज्य सरकारो को कमजोर किए बिना पचायतो के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। उन्होने कहा कि इसे सत्ता का विकेन्द्रीकरण भी नही समझा जाना चाहिए।

इस कान्फ्रेंस मे विशेष सघटक योजना को लागू करने के लिए वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था से हट कर एक अलग पृथक समिति बनाने का सुझाव आया था। पूर्व प्रधान मन्त्री ने इस सुझाव को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था--"लेकिन विशेष सघटक योजना के कार्यक्रम ही एक पृथक समिति के माध्यम से लागू क्यो करवाए जाएँ ? और दूसरे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो पृथक समिति के द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं।"[61]

इस कान्फ्रेंस मे अनुसूचित जातियो के लिए आरक्षण की नीति पर भी नए दृष्टिकोण से विचार किया गया था। उन्होंने अपने पहले दिन के भाषण मे कहा था कि अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जन जातियो, अल्प सख्यको तथा अन्य पिछडे वर्गों को विशेष शक्तियां देने के बारे मे कुछ सुझाव आए है। उनमे से एक सुझाव है कि यह कार्य आरक्षण को लागू करके किया जा सकता है जो अब तक लाभकारी सिद्ध हुआ है। लेकिन आरक्षण के बारे मे भी यह समस्या बनी रहती है कि आरक्षण को कैसे अमल मे लाया जाए और लोगो को कैसे चुना जाए।

उदाहरण के लिए मुझे बताया गया है कि हमारे देश म एक तरीका यह है कि जो व्यक्ति सबमे कम वोट प्राप्त करता है उसे आरक्षित सीट के लिए नामित कर दिया जाता है। इसके सिवा दूसरी तरीके भी हैं। कुछ एक तरह से नुकसानदायक हैं तो कुछ दूसरे हमें दूसरी तरह से कमजोरी की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए आज के आरक्षण के तरीके मे यदि एक जगह आरक्षण किया जाता है तो यह वही पर रुक कर रह जाता है। फिर कमजोर वर्गों के दूसरे लोगो के लिए कोई अवसर नही रह जाता। उद्देश्य यह था कि हमारे समाज के वर्गो मे जो खाइयाँ थी उन्हें आरक्षण द्वारा कम किया जाए, लेकिन इसे जिस तरह से कार्यान्वित किया गया है उस तरह से इसने इन खाइयो को स्थायी बना दिया है। एक सुरक्षित सीट से दूसरा कोई भी व्यक्ति चुनाव नही लड सकता और दूसरे समुदाय अपने आप को अलग थलग पडे महसूस करते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि सामान्य सीटो म से बहुत कम हरिजन और आदिवासी चुनाव जीत पाते हैं। हम चाहते है कि हरिजन और आदिवासी समाज की मुख्य धारा के साथ एकमएक हो जाएँ जिससे हरिजन, आदिवासी ऊँची जाति, नीची जाति आदि का अतर एक दिन अपने आप मिट जाए। लेकिन मुझे डर है कि हमे इस उद्देश्य की प्राप्ति नही हो सकी है।[62]

हमारे वर्तमान श्रम और कल्याण मन्त्री राम विलास पासवान ने कहा है कि सरकार की आरक्षण नीति मे कोई परिवर्तन नही किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोक सभा और विधान सभाओ मे राजनीतिक आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण नीति किसी दल विशेष की नही वरन राष्ट्रीय नीति है। संविधान बनाते समय आरक्षण को समाज के पिछडे लोगों के उत्थान के लिए आवश्यक समझा गया था। उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान मे आरक्षण की दो श्रेणिया हैं—लोक सभा और विधान सभाओ मे राजनीतिक आरक्षण तथा सरकारी नौकरियो म आरक्षण। राजनीतिक आरक्षण का हर 10 वर्ष बाद नवीनीकरण करना आवश्यक है जबकि सरकारी नौकरियो मे आरक्षण की कोई

अवधि नही है। उन्होने राजनीतिक आरक्षण का विधेयक राज्य सभा मे पेश कर दिया है।[63] सरकारी सेवाओ मे रिक्तियाँ पूरी न होने के लिए उन्होने उन अधिकारियो के लिए दण्ड की व्यवस्था की भी जरूरत महसूस की है जिनके हाथ मे रह कर ये रिक्तियाँ भरी नही जाती हैं।

अभी कुछ जगह पर कुछ छात्रो का आरक्षण विरोधी अभियान चल रहा है। इसके बारे मे हमारे वतमान प्रधान मन्त्री विश्व नाथ प्रताप सिंह ने अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो के आरक्षण के खिलाफ वतमान आन्दोलन के बारे मे राष्ट्रीय मोर्चा ससदीय दल की पहली बैठक मे बोलते हुए स्पष्ट किया कि ससद मे प्रस्तावित विधेयक केवल लोक सभा तथा विधान सभाओ मे आरक्षण को 10 वर्ष और ज्यादा रखने के सम्बन्ध मे है, अन्य आरक्षणो मे कोई बदलाव नही किया जा रहा है। उन्होने आरक्षण की जरूरत महसूस करते हुए बताया कि जब तक समाज मे शोषण समाप्त नही होता, आरक्षण जारी रखना होगा।[64] ससद के दोनो सदनो ने एक मत से इस विधेयक को पारित कर दिया है।

सदभ

1 डा० बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, वोल्यूम 5, एजुकेशन डिपाटमेन्ट, गवनमेंट आफ महाराष्ट्र, बम्बई 400032, 1989, प० 238
2 सम्पूण गाधी वाङमय, खण्ड 48, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, 1971, पृ०-32,
3 वही, पृ० 38
4 वही, प० 129
5 वही, पृ० 177
6 वही, पृ० 178
7 वही, पृ० 286
8 वही, प० 323
9 वही, प० 330
10 वही, पृ० 331
11 डा० बाबा साहेब अम्बेडकर, राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, वोल्यूम 2, एजुकेशन डिपाटमट, गवनमट आफ महाराष्ट्र, बम्बई 400032, 1982, पृ० 660
12 वही, प० 660
13 सम्पूण गाधी वाङमय, खण्ड 48, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, 1972, पृ० 248
14 डा० बाबा साहेब अम्बेडकर, राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, वोल्यूम 1, एजुकेशन डिपाटमट गवनमट आफ महाराष्ट्र, बम्बई 400032, रीप्रिन्ट 1989, पृ० 81
15 वही, पृ० 86
16 डा० अम्बेडकर, लाइफ एण्ड मिशन, धनजय कीर, पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, रीप्रिन्ट, 1981 पृ० 214
17 चुनावी हवा क्या करवट लेगी दलित राजनीति ? मान्तूराम नमि, नराय, धमयुग, 10 9 1989, पृ० 6 12

18 नागमय सस्कृति, हिन्दी साप्ताहिक, उज्जैन, 16 जनवरी, 1990, पृ० 4

19 अम्बेडकर जीवन दशन, डी० आर० निम, विद्या विहार, 1685, कूचा दखनी राय, दरिया गज, नई दिल्ली 110002, प्रथम सस्करण, 1986, पृ० 80

20 वही, पृ० 84

21 सम्पूण गाधी वाङमय, खड अडतालीस, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1971, प० 248

22 डा० अम्बेडकर जीवन दशन, विजय कुमार पुजारी, भारतीय बौद्ध महा सभा, दिल्ली प्रदेश, बुद्ध विहार, अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली 110055, द्वितीय सस्करण, 1984, पृ० 114

23 वही, पृ० 114

24 वही, प० 114

25 वही, प० 109

26 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की दूसरी रिपोट, अप्रैल, 1979 से माच, 1980, पृ० 17-18

27 डा० अम्बेडकर एक चिन्तन, लेखक मधुलिमये, अनुवादक, मस्तराम कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल एजुकेशन सोसायटी, नई दिल्ली, पृ० 96

28 वही, पृ० 97

29 ससदीय काय मत्रालय द्वारा 'नेहरू और ससदीय लोक तत्र' पर 1989 म आमन्त्रित अखिल भारतीय हिन्दी लेख प्रतियोगिता मे सम्मिलित लेख, प्रतियोगी, नानेन्द्र मरयुजय।

30 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की दूसरी रिपोट प० 17

31 वही रिपोट, पृ० 17

32 डा० बाबा साहेब अम्बेडकर राईटिंग्स एण्ड स्पीचेज, वोल्यूम 2, एजुकेशन डिपाटमट, गवनमेट आफ महाराष्ट्र, बम्बई 400032, 1982, पृ 396-7

33 अस्पश्यता की समस्या पर एक रिपोट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, कल्याण मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 9 जनवरी '1989, पृ० 10

34 वही, पृ० 13

35 मुखबाहूरुपज्जाना या लोके जातयो बहि ।
म्लेच्छवाचश्चार्यवच सर्वे दस्यव स्मृता ॥ मनुस्मृति 10-45

36 चत्यद्रुमश्मशानेषु शलेषु पवनेषु च ।
वसेयुरेते विज्ञानो वतयन्त स्वकर्मभि ॥ वही, 10-50

37 चाण्डालश्वपचाना तु बहिर्ग्रामात्प्रतिश्रय ।
अपपात्राश्च कत्तव्या धनमेषा श्वगर्दभम् ॥ वही, 10-51

38 वासासि मृतचलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम ।
कार्ष्णायसमलकार परिव्रज्या च नित्यश ॥ वही, 10-52

39 न त समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन ।
व्यवहारो मिथस्तेषा विवाह सदृश सह ॥ वही 10-53

40 अन्नमेषा पराधीन देव स्याद्भिन्न भाजने ।
रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ वही 10-54

41 दिवा चरेयु कार्याथ चिह्निता राजशासन ।
अबान्धव शव चव निर्हरेयुरिति स्थिति ॥ वही 10-55

42 वध्याश्च हन्यु सतत यथाशास्त्र नृपाज्ञया ।
वध्यवासासि गृह्णीयु शय्याश्चाभरणानि च ॥ वही, 10-56

43 अन्त्यागमने वध्य ।

44 अस्पृश्य कामकारेण स्पृशन्
स्पृश्य सर्वाणिक वध्य ।

53 डा० अम्बेडकर एक चिन्तन, लेखक मधुलिमये, अनुवादक मस्तराम कपूर, सरदार बल्लभ भाई पटेल एजुकेशनल सोसायटी, नई दिल्ली, 1989, पृष्ठ-85।

54 द सेविन्थ फाइव ईयर प्लान, 1985 90, वोल्यूम II, चप्टर-15, सोशियो-एकानोमिक प्रोग्राम्स फार शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, टेबल 15 5

55 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की छठी रिपोर्ट, अप्रल 1983 से मार्च 1984, पृष्ठ-18

56 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग की सातवीं रिपोर्ट, पृष्ठ-44

57 वही रिपोर्ट, पृष्ठ-49

58 राजीव गान्धी, सेलेक्टेड स्पीचेज एण्ड राईटिंग्स, वोल्यूम 4, 1988, पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री आफ इन्फोर्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवनमेंट आफ इण्डिया, सितम्बर 1989, पेज-163

59 नेशनल कान्फ्रेंस आन पचायती राज एण्ड शेडयूल्ड कास्ट्स, ए ब्रीफ रिपोर्ट, फरवरी 24-27, 1989, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, नेशनल कमिशन फार शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेडयूल्ड ट्राइब्स, नई दिल्ली, पृष्ठ-39

60 वही, पष्ठ 39

61 वही, पष्ठ-46

62 वही, पृष्ठ-40

63 नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 20-12 1989, पृष्ठ 1, कालम 7 8

64 दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 20-12-1989, पृष्ठ-1, कालम 6